

कार्यपालन सारांश

कर संग्रहण

वर्ष 2010–11 में वाणिज्यिक कर से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 32.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके कारण से, अनुरोध किये जाने के बावजूद भी (अप्रैल 2011 तथा इसके पश्चात जुलाई तथा सितम्बर 2011 में स्मरण पत्र प्रेषित किये गये) विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।

वर्ष 2010–11 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम।

वर्ष 2010–11 में हमने वाणिज्यिक कर से संबंधित 100 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 1,017 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 265.45 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला।

विभाग ने 570 प्रकरणों में ₹ 59.48 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान हमारे द्वारा इंगित किया गया था। वर्ष 2010–11 के दौरान 272 प्रकरणों में ₹ 44 लाख की राशि वसूल की गई थी।

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है।

इस अध्याय में हमने “मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर जाँच चौकियों की कार्यप्रणाली” तथा “अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा पत्रों का उपयोग” पर दो निष्पादन समीक्षायें तथा वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालयों में कर के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा नमूना जांच के दौरान पाये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 85.10 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है, जहां हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान हमारे द्वारा बार—बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

हमारा निष्कर्ष

विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रवेश कर/क्रय कर के अनारोपण/कम आरोपण, कर मुक्ति की गलत स्वीकृति, बंद इकाईयों से कर की वसूली न होना, व्यवसाय कर की वसूली न होना, शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण, परिवहनकर्ताओं पर कर का अनारोपण, बिना घोषणा के विक्रय पर कर का

अनारोपण/कम आरोपण आदि के कारण राशि को वसूल करने
के लिये त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है,
विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को
स्वीकार किया है ।

अध्याय – 2

वाणिज्यिक कर

2.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विभाग प्रमुख हैं। विभाग चार क्षेत्रों में विभाजित है, क्षेत्रीय अपर आयुक्त प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख हैं। सभी क्षेत्र 14 संभागीय कार्यालयों में विभाजित हैं, प्रत्येक संभाग का प्रमुख उपायुक्त होता है। इन संभागीय कार्यालयों के अंतर्गत 78 वृत्त कार्यालय हैं, जिनके प्रमुख वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक आयुक्त हैं।


2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान विक्रय, व्यापार आदि पर वैट/करों से वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि की कुल कर प्राप्तियों सहित तालिका एवं रेखाचित्र में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+)/ कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	वैट/विक्रय व्यापार पर कर की वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों की तुलना में प्रतिशत
2006–07	5,357.00	5,261.41	(–) 95.59	(–) 1.78	10,473.13	50.24
2007–08	5,700.00	6,045.07	(+) 345.07	(+) 6.05	12,017.64	50.30
2008–09	6,720.00	6,842.99	(+) 122.99	(+) 1.83	13,613.50	50.27
2009–10	7,894.11	7,723.82	(–) 170.29	(–) 2.16	17,272.77	44.72
2010–11	9,320.00	10,256.76	(+) 936.76	(+) 10.05	21,419.33	47.89

वर्ष 2006–07 में वैट/विक्रय, व्यापार आदि पर कर से प्राप्तियाँ ₹ 5,261.41 करोड़ थीं जो वर्ष 2010–11 में बढ़कर ₹ 10,256.76 करोड़ हो गई – इस प्रकार इनमें 94.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, कुल प्राप्तियों में वैट/विक्रय, व्यापार आदि पर कर का अंश जो वर्ष 2007–08 में 50.30 प्रतिशत था, वर्ष 2010–11 में घटकर 47.89 प्रतिशत रह गया।



वर्ष 2010–11 में, वाणिज्यिक कर से प्राप्त कर संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 32.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसके कारण से विभाग द्वारा, अनुरोध किये जाने (अप्रैल 2011 एवं इसके पश्चात जुलाई तथा सितम्बर 2011 में स्मरण पत्र प्रेषित किये गये) के बावजूद भी, अवगत नहीं कराया गया।

2.3 निर्धारिती का विवरण

विभाग ने प्रतिवेदित किया कि वर्ष 2010–11 के दौरान 2,17,209 पंजीयत व्यवसायी थे जिनमें से लगभग 46,774 बड़े कर दाता तथा 1,70,435 छोटे कर दाता थे। ऐसे सभी पंजीयत व्यवसाइयों द्वारा, जिनकी कुल विक्रय राशि ₹ 20 लाख तक है या जो ₹ 10,000 तक वार्षिक कर का भुगतान करते हैं, वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं जबकि अन्य व्यवसाइयों द्वारा त्रैमासिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी होती हैं। ऐसे व्यवसाइयों के प्रकरण में जो विवरणियाँ प्रस्तुत करने में विफल रहे, सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रिम कर नोटिस जारी किए जाते हैं। विभाग ने आगे बताया कि प्राप्त विवरणियों की संख्या विभागीय मुख्यालय पर संधारित नहीं की जाती है। इस प्रकार, विभाग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवीक्षण प्रणाली का अभाव है।

2.4 विक्रय कर का बकाया

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी विगत पांच वर्षों (2006–07 से 2010–11) के दौरान विक्रय कर के बकाया की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के अंत तक संग्रहण	शेष बकाया
2006–07	759.30	702.79	877.84	584.25
2007–08	584.25	739.77	752.48	571.54
2008–09	571.54	1,086.23	1,111.73	546.04
2009–10	546.04	1,206.32	1,165.41	586.95
2010–11	586.95	1,214.02	1,271.17	529.80

वर्ष के अंत में विक्रय कर के बकाया की राशि ₹ 529.80 करोड़ थी जिसमें से ₹ 450 करोड़ की राशि पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी।

2.5 निर्धारण का बकाया

वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान प्रत्येक वर्ष से संबंधित विक्रय कर/वैट, व्यवसाय कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किये गये प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्नानुसार हैं :

कर का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 4 से 5 का प्रतिशत
वाणिज्यिक कर विभाग						
विक्रय कर/वैट	2008–09	3,03,293	3,41,838	6,45,131	3,78,096	2,67,035
	2009–10	2,67,035	3,53,048	6,20,083	3,72,161	2,47,922
	2010–11	2,47,922	2,53,990	5,01,912	3,74,824	1,27,088
व्यवसाय कर	2008–09	1,27,515	1,50,048	2,77,563	1,53,188	1,24,375
	2009–10	1,24,375	1,40,241	2,64,616	1,57,938	1,06,678
	2010–11	1,06,678	88,196	1,94,874	1,27,626	67,248
प्रवेश कर	2008–09	1,88,411	2,36,999	4,25,410	2,55,054	1,70,356
	2009–10	1,70,356	2,29,913	4,00,269	2,48,537	1,51,732
	2010–11	1,51,732	2,00,164	3,51,896	2,62,535	89,361
विलासिता कर	2008–09	698	1,330	2,028	1,364	664
	2009–10	664	1,026	1,690	1,052	638
	2010–11	638	3,619	4,257	3,234	1,023
निर्माण संविदाओं पर कर	2008–09	3,747	5,160	8,907	6,366	2,541
	2009–10	2,541	6,273	8,814	6,183	2,631
	2010–11	2,631	6,704	9,335	6,593	2,742

इस प्रकार विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2010–11 के दौरान निर्धारण प्रकरणों के निराकरण में वृद्धि हुई है।

2.6 कर संग्रहण की लागत

वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान विक्रय, व्यापार आदि पर वैट/करों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर संबंधित विभाग द्वारा बताया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर किए गए ऐसे व्यय का प्रतिशत, विगत वर्षों में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाये अनुसार है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
2008–09	6,842.99	96.23	1.41	0.83
2009–10	7,723.82	85.33	1.10	0.88
2010–11	10,256.76	98.35	0.96	0.96

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वैट/विक्रय, व्यापार आदि पर कर के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से अत्यन्त अधिक था ।

2.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

शासन के आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 1982 के अनुपालन में, विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए 15 पद (पाँच सहायक आयुक्त, पाँच वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा पाँच सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी) स्वीकृत किए गए थे । तथापि, पंजीयत व्यवसाइयों तथा कर निर्धारण प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि, चैक पोस्टों की स्थापना, तथा उपलब्ध स्टाफ को राजस्व कार्य में लगाये जाने के कारण, जहाँ तक कर निर्धारणों की आंतरिक लेखापरीक्षा का संबंध हैं, आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कार्य नहीं कर रही है । वर्ष 2010–11 के दौरान, केवल स्थापना अभिलेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई ।

2.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर/वैट से संबंधित 100 इकाईयों के अमिलेखों की नमूना जाँच में 1,017 प्रकरणों में अंतर्निहित राशि ₹ 265.45 करोड़ के कर का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें दृष्टिगत हुईं जिन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर जाँच चौकियों की कार्यप्रणाली (निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	63.10
2.	अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणापत्रों का उपयोग (निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	12.85
3.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	294	31.43
4.	कर की गलत दर का लागू किया जाना	164	10.99
5.	कर योग्य टर्न ओवर का गलत निर्धारण	94	3.63
6.	मुजराई/कटौती/कर मुक्ति की गलत स्वीकृति	142	27.95
7.	अन्य अनियमिततायें	321	115.50
कुल		1,017	265.45

वर्ष के दौरान, विभाग ने 570 प्रकरणों में राशि ₹ 59.48 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था । वर्ष 2010–11 के दौरान 272 प्रकरणों में राशि ₹ 44 लाख की वसूली की गई ।

दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं “मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर जाँच चौकियों की कार्यप्रणाली” तथा “अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणापत्रों का उपयोग” जिनमें क्रमशः ₹ 63.10 करोड़ तथा ₹ 12.85 करोड़ का राजस्व प्रभाव अंतर्निहित है, तथा ₹ 9.15 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

2.9 मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर जाँच चौकियों की कार्यप्रणाली

प्रमुख विशेषताएं

शास्ति प्रकरणों की सूचना वृत्त कार्यालयों को देने के प्रावधानों के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 12.77 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.9.9)

जाँच चौकियों पर परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 49 में दर्ज व्यवसाइयों के टिन के सत्यापन हेतु कोई प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.18 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.9.13)

शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 35.91 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.9.17)

ऐसे परिवहनकर्ताओं पर, जो प्रेषक, प्रेषिती या वस्तुओं (माल) के बारे में जानकारी देने में विफल रहे अथवा जिन्होंने जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये, कर के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 38.67 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.9.18)


पारगमन पत्र के तहत वस्तुओं के आवागमन पर निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप ₹ 62.25 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं हुई ।

(कंडिका 2.9.20.2)

2.9.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश (म0प्र0) में आयात एवं बाहर निर्यात की गई वस्तुओं पर कर अपवंचन रोकने के लिए म0प्र0 शासन के वाणिज्यिक कर विभाग को जाँच चौकियों की स्थापना करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जहां वाहनों को बीच में रोक कर जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी द्वारा जाँच पड़ताल करके उन्हें निरुद्ध किया जा सकता है। मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 (अधिनियम) शासन एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर को कर अपवंचन को रोकने या उसकी जाँच करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिसूचित स्थानों पर जाँच चौकियों की स्थापना की शक्तियाँ प्रदान करता है। तदनुसार, शासन द्वारा 1 अप्रैल 2006 तथा 1 अक्टूबर 2009 के मध्य तीन अधिसूचनाएँ¹ जारी कर राज्य में 23 स्थानों पर 23 जाँच चौकियों² की स्थापना की गई।

चैक पोस्टों पर घोषणा पत्रों की डाटा प्रविष्टि का कार्य उद्यमिता विकास केन्द्र, मध्य प्रदेश [सी.ई.डी.ए.पी. (सेडमेप)] के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत किया गया है जिसके लिए स्थान, फर्नर्चर तथा विजली आपूर्ति विभाग द्वारा तथा कम्प्यूटर सिस्टम ऑपरेटर तथा लेखन सामग्री सेडमेप द्वारा उपलब्ध कराई जाना थी। सेडमेप का प्रधान कार्यालय इंदौर में स्थित है।



Source : Mapsofindia.com and check posts indicated manually.

¹ अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006, 31 अगस्त 2009 एवं 8 सितम्बर 2009.

² बड़ागाँव, बालसमुन्द, भोपाल, धबलाजोद, दिनारा, डोंगरगाँव, फतेहपुर, हनुमना, इन्दौर, केमहा, खापा करीमवर, खवासा, तुँवरगढ़, मालथोन, मैंगली, नरैनका, नयागाँव, निवाली, पिटोल, राजेगाँव, राजना (1 फरवरी 2011 से सासुंदरा को स्थानान्तरित), सिकरोदा, सोहागी पहाड़।

2.9.2 संगठनात्मक संरचना

मध्य प्रदेश में वैट अधिनियम, प्रवेश कर अधिनियम तथा केन्द्रीय विक्रय कर (के०वि०क०) अधिनियम वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसका प्रधान, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव तथा विभाग स्तर पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर होता है। अपर आयुक्त (प्रवर्तन) जाँच चौकियों के कार्य संचालन में आयुक्त, वाणिज्यिक कर की सहायता करते हैं, जबकि उपायुक्त, अपने संबंधित संभागों में स्थापित जाँच चौकियों के सुचारू रूप से संचालन को प्रशासित करते हैं। प्रत्येक जाँच चौकी का प्रशासन सहायक आयुक्त या वाणिज्यिक कर अधिकारी या सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के सुपुर्द रहता है जिनकी सहायता के लिये वाणिज्यिक कर निरीक्षक होते हैं।

2.9.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

नवम्बर 2010 से मार्च 2011 के दौरान 2006–07 से 2010–11 तक की अवधि का समावेश करते हुए “मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर जाँच चौकियों की कार्यप्रणाली” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई। राज्य में 23 जाँच चौकियों में से, म.प्र. की सीमा पर स्थित कम से कम एक जाँच चौकी को शामिल करते हुए, सात जाँच चौकियों³ को समीक्षा हेतु यादृच्छिक ढंग से चयनित किया गया।

2.9.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की कि क्या :—

- वस्तुओं पर कर अपवंचन रोकने के लिए तथा अधिनियम के प्रावधानों, नियमों एवं अधिसूचनाओं के परिपालन को सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में नियंत्रणों की प्रभावकारिता सहित एक पर्याप्त एवं प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी; और
- जाँच चौकियों में आधारिक संरचना सुविधाएं कर अपवंचन को रोकने के लिए पर्याप्त थीं।

2.9.5 अभिस्वीकृति

हम वाणिज्यिक कर विभाग, जाँच चौकी अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में किये गये सहयोग को स्वीकार करते हैं। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा हेतु विभाग के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त के साथ जनवरी 2011 में एक प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया

³ बालसमुन्द, दिनारा, मांगली, नयागाँव, पिटोल, राजना/ससुन्दरा, सिकरौदा (मार्च 2006 में अधिसूचित)।

गया था। शासन एवं आयुक्त को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जुलाई 2011 में अप्रेषित किया गया था। निर्गम सम्मेलन अगस्त 2011 में आयोजित किया गया था जिसमें आयुक्त ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया। विभाग के दृष्टिकोण को उपयुक्त ढंग से संबंधित कंडिकाओं में सम्मिलित किया गया है।

2.9.6 राजस्व की प्रकृति

अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान जाँच चौकियों पर राजस्व का संग्रह तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संग्रहीत राजस्व में इसका प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शाया गया है :—


(₹ करोड़ में)

वर्ष	जाँच चौकियों पर राजस्व का संग्रहण	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संग्रहीत कुल राजस्व	प्रतिशत
2006–07	2.02	5,261.41	0.04
2007–08	4.25	6,045.07	0.07
2008–09	5.97	6,842.99	0.09
2009–10	7.37	7,723.82	0.10
2010–11	6.02	10,256.76	0.06

(कॉलम 2 के आंकड़े विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये तथा कॉलम 3 के आंकड़े वित्त लेखे से लिये गये।)

2.9.7 जाँच चौकियों में प्रणाली अनुक्रम

(i)




* प्रपत्र 50 – पंजीयत व्यवसाई को छोड़कर अन्य व्यक्ति के लिए लागू जाँच चौकी घोषणापत्र।

** प्रपत्र 49/88 – पंजीयत व्यवसायी के लिए लागू जाँच चौकी घोषणापत्र (प्रपत्र सं. 88 को प्रपत्र सं. 49 में बदला गया)।

† उच्चमिता विकास केन्द्र, म0प्र0 – प्रपत्र 49/88 तथा पारगमन पत्रों की डाटा प्रविष्टि के लिए उत्तरदायी संस्था।

‡ 78 वृत्त कार्यालय।

(ii)



लेखापरीक्षा के निष्कर्ष


2.9.8 जाँच चौकियों की अनुपयुक्त अवस्थिति

अधिनियम में कर अपवंचन को रोकने अथवा उसकी जाँच करने की दृष्टि से अधिसूचित स्थानों पर जाँच चौकियों की स्थापना करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 57(2) के अनुसार, राज्य की सीमाओं में प्रवेश करते तथा छोड़ते समय, परिवहनकर्ता को प्रत्येक जाँच चौकी पर वाहन अथवा कैरियर रोकना अथवा निकटतम जाँच चौकी पर वाहन अथवा कैरियर लाकर रोकना आवश्यक है। इस प्रकार कर अपवंचन को रोकने अथवा उस की जाँच करने के लिए जाँच चौकी/नाके की स्थिति का सर्वाधिक महत्व है।

जाँच चौकियों पर पारगमन पत्र देने के पश्चात् मध्य प्रदेश में माल उतार सकते हैं। इसलिए, इन जाँच चौकियों की अनुपयुक्त अवस्थिति के कारण व्यवसाईयों के लिये निःसन्देह अप्रकट अन्तर्राज्यीय व्यापार के परिणामस्वरूप कर अपवंचन करना सुगम हो जाता है। इन जाँच चौकियों की स्थिति आगामी मानचित्र में देखी जा सकती है :

हमने अवलोकित किया कि समीक्षा के लिए चयनित सात जाँच चौकियों में से तीन जाँच चौकियाँ⁴ ऐसे स्थानों पर स्थापित की गई हैं जहां पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहन मुख्य सड़क से भिन्न सड़क द्वारा जाँच चौकियों पर पहुंचे बिना मध्य प्रदेश के भीतर विभिन्न स्थानों पर जा सकते हैं अथवा पारगमन पत्र के तहत समान परिवहन करने वाले वाहन इन निर्गम

⁴ बाल समुंद, दिनारा तथा राजना (1 फरवरी 2011 से संसुदरा को स्थानान्तरित)।



Source : Mapsofindia.com and check posts indicated manually.

हमने अवलोकित किया कि राजना में मौजूद जाँच चौकी को अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा 1 फरवरी 2011 से ससुन्दरा (जिले के भीतरी भाग में) में स्थानान्तरित कर दिया गया था। हमने यह भी अवलोकित किया कि जाँच चौकी अधिकारी, राजना ने नियंत्रक संभाग उपायुक्त को अवगत कराया था (दिसम्बर 2010) कि जाँच चौकी को स्थानान्तरित करने से अन्य राज्य से आने वाले वाहन ससुन्दरा स्थित प्रस्तावित जाँच चौकी पर पहुंचे बिना सड़क उपमार्गों द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों को विचलित हो जायेंगे।

जहाँ तक दिनारा स्थित जाँच चौकी का संबंध है, संबंधित जाँच चौकी अधिकारी ने नियंत्रक उपायुक्त को झांसी (उत्तर प्रदेश) से आने वाले/को जाने वाले वाहनों द्वारा विभिन्न वैकल्पिक/उप सड़क मार्गों के उपयोग के कारण हो रहे कर अपवंचन के बारे में सूचित किया था।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में आश्वस्त किया कि उप सड़क मार्गों पर नई जाँच चौकियों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी।

2.9.9 शास्ति प्रकरणों की सूचना वृत्त कार्यालयों को देने के संबंध में कोई प्रावधान न होने के कारण राजस्व की हानि

प्रत्येक जाँच चौकी में, शास्ति प्रकरणों की पंजी, जिसमें शास्ति प्रकरणों का विवरण जैसे कि शास्ति प्रकरण क्रमांक, परिवहनकर्ता का नाम, उन वस्तुओं में अंतर्निहित कर राशि जिन पर शास्ति आरोपित की गई, आदि दर्ज किया जायेगा, संधारित की जाना अपेक्षित है। लेकिन, निर्धारित पंजी में वस्तु का नाम, दोषी वाहन में लदी कुल वस्तु में से वस्तु का मूल्य जिस पर शास्ति आरोपित की गई तथा शास्ति आरोपण के कारण से संबंधित कालम निर्धारित नहीं किये गये हैं। इन विवरणों के अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि शास्ति की राशि की गणना करने के लिये वस्तु का मूल्य तथा कर की दर सही ढंग से निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, हम नमूना जाँच के लिए शास्ति प्रकरणों को शास्ति आरोपण के कारणों के अनुसार वर्गीकृत नहीं कर सके। सात जाँच चौकियों में निराकृत किये गये कुल 2,714 शास्ति प्रकरणों (अवधि 2006–07 से 2010–11) में से, हमने 1,628 प्रकरणों की नमूना जाँच की। निष्कर्षों की विवेचना अनुगामी कंडिकाओं में की गई है:

म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 57 के तहत, जहां परिवहनकर्ता शासन द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में निर्धारित घोषणापत्रों सहित सभी दस्तावेज जाँच चौकी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके ऊपर आरोपित शास्ति का दायी होगा। हालांकि, इन शास्ति प्रकरणों को वृत्त कार्यालयों में भेजने का अधिनियम/नियमों में कोई प्रावधान नहीं है जिससे वृत्त अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण के समय यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे प्रकरणों को कर निर्धारण में शामिल कर लिया गया है।

2.9.9.1 सात जाँच चौकियों की नमूना जाँच में हमने 576 प्रकरणों में अवलोकित किया कि ऐसे परिवहनकर्ताओं पर शास्ति आरोपित की गई थी, जो मध्य प्रदेश के व्यवसाइयों द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के क्रय/विक्रय के संबंध में निर्धारित घोषणापत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे। लेकिन इन प्रकरणों में शास्ति आरोपण से

संबंधित जानकारी, बिल/बीजक की प्रतियों सहित कर निर्धारण के समय इन लेनदेनों के लेखाकरण को सत्यापित करने के लिए व्यवसाईयों की कर निर्धारण नस्तियों में रखने के लिए संबंधित वृत्त कार्यालयों को नहीं भेजी गयी। हमने नमूना जाँच के लिए 58 शास्ति प्रकरणों में शामिल 68 बिलों/बीजकों का विवरण संग्रहीत किया। संबंधित वृत्त कार्यालयों से इन बिलों/बीजकों के विवरणों का प्रति सत्यापन करने पर हमने पाया कि 29 शास्ति प्रकरणों से संबंधित ₹ 7.95 लाख के कर प्रभाव से सन्तुष्टि ₹ 78.17 लाख मूल्य के माल के 35 बिलों/बीजकों को व्यवसाइयों द्वारा अपने लेखाओं में नहीं लिया गया। इन 29 शास्ति प्रकरणों

में से 11 प्रकरणों में कर निर्धारण नस्तियों की संवीक्षा के आधार पर तथा शेष प्रकरणों में त्रैमासिक विवरणियों के आधार पर हमारा प्रेक्षण इंगित किया गया है ।

म.प्र. वैट नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 5 के तहत, प्रत्येक व्यवसाई उसके द्वारा म.प्र. में किये गये वस्तुओं के विक्रय या आपूर्ति के संबंध में उस दिनांक से कर के भुगतान का दायी होगा, जिसको उसका टर्नओवर वर्ष में पहली बार ₹ पाँच लाख से अधिक होता है ।

2.9.9.2 पांच जाँच चौकियों⁵ में हमने अवलोकित किया कि 232 प्रकरणों में से 12 प्रकरणों में उन परिवहनकर्ताओं पर शास्ति आरोपित की गई जो म.प्र. के बाहर से व्यक्तियों/निर्माण ठेकेदारों (अपंजीयत) द्वारा आयातित किये जा रहे माल के संबंध में आवश्यक दस्तावेज/घोषणापत्र प्रस्तुत करने

में विफल रहे । इन 12 प्रकरणों में से 7 प्रकरणों में, यद्यपि टर्न ओवर 5 लाख की सीमा से अधिक बढ़ा था, लेकिन ऐसे आयातकर्ताओं को कर परिधि में लाने के लिए इन शास्ति प्रकरणों की सूचना संबंधित वृत्त कार्यालयों को नहीं भेजी गई । इसलिए, ऐसे शास्ति प्रकरणों की सूचना संबंधित वृत्त कार्यालयों को न भेजने के कारण, शासन को ₹ 76.73 लाख मूल्य के ऐसे माल में अंतर्निहित कर राशि ₹ 4.82 लाख से वंचित रहना पड़ा ।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की और बताया कि ऐसी सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

कर निर्धारण या व्यवसाइयों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की जाँच के समय उपयोग किये जाने हेतु इन शास्ति प्रकरणों की सूचना संबंधित वृत्त कार्यालयों को भेजने के लिए एक कार्यप्रणाली निर्धारित करने के संबंध में शासन विचार कर सकता है ।

⁵ बालसमुन्द, माँगली, पिटोल, राजना एवं सिकरौदा ।

2.9.10 म.प्र. से बाहर जाने वाले माल/वाहनों पर नियंत्रण की कमी के कारण राजस्व की हानि

म0प्र0 वैट अधिनियम की धारा 57(2) सहपठित अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 तथा 20 अप्रैल 2010 में प्रावधान है कि प्रत्येक वाहन चालक को, म0प्र0 की सीमा छोड़ते समय प्रेषिती द्वारा जारी बीजक, बिल अथवा चालान तथा परिवहनकर्ता द्वारा जारी बिल्टियों को अपने साथ लेकर चलना होगा और अधिसूचित वस्तुओं जैसे ऑयलसीड, वनस्पति एवं खाद्य तेल तथा रुई के संबंध में प्रपत्र 49 में घोषणापत्र सहित उपरोक्त सभी दस्तावेज जाँच चौकी पर वाहन रोककर प्रस्तुत करना होंगे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिसूचित वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं के संबंध में जाँच चौकियों पर न तो किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और न ही ऐसी बाहर जाने वाली वस्तुओं का अभिलेख रखने के लिए कोई पंजी निर्धारित की गई है।

में शक्कर के अन्तर्राज्यीय विक्रय के संबंध में 'सी' प्रपत्र भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

फरवरी 2011 में क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, नीमच के अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने अवलोकित किया कि अवधि 2006–07 से 2008–09 के लिए 2009–10 में कर निर्धारित पांच व्यवसाइयों ने म0प्र0 के बाहर से ₹ 43.22 करोड़ मूल्य की शक्कर का आयात किया जिसमें से ₹ 33.34 करोड़ मूल्य की शक्कर का अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में विक्रय किये जाने का दावा किया गया। इस प्रकार, प्रावधान के अनुसार, अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में विक्रय की गई शक्कर के क्रय मूल्य ₹ 32.97 करोड़ पर प्रवेश कर ₹ 32.97 लाख आरोपित नहीं किया गया। इसलिए, ऐसे अन्तर्राज्यीय व्यापार की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए, विभाग के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। फिर भी, व्यवसाइयों के कर निर्धारण प्रकरण की नस्तियों में उपलब्ध अन्तर्राज्यीय विक्रय सूचियों से हमने राजस्थान के उन क्रेता व्यवसाइयों के पंजीयन स्थिति की नमूना जाँच राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की सरकारी वेबसाइट से की जिनका टिन⁶ विक्रय सूची में दर्ज था। नमूना जाँच किये गये 16 क्रेता

जाँच चौकियों पर शक्कर के संबंध में जो कि अधिसूचित वस्तुओं के अलावा है, फार्म 49 में घोषणापत्र सहित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है तथा म0प्र0 के बाहर जाने पर ऐसी वस्तुओं के अभिलेख रखने के लिए कोई पंजी निर्धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य

⁶ कर दाता पहचान संख्या।

व्यवसाइयों में से तीन पंजीयत नहीं पाये गये। बाहर जाने वाली वस्तुओं के अन्य प्रकरणों में हम ऐसे कर अपवंचन की संभावना से इनकार नहीं कर सकते।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में, विभाग ने आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और बताया कि ऐसे नियंत्रण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

2.9.11 जाँच चौकियों से गुजरने वाले माल वाहनों का भौतिक सत्यापन

विभाग द्वारा वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत, जाँच चौकी अधिकारी कर अपवंचन को रोकने के लिए जाँच चौकी से गुजरने वाले वाहनों में लदी वस्तुओं के निरीक्षण तथा तलाशी करने के लिए अधिकृत है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल संदेह की स्थिति में, जाँच चौकियों से गुजरने वाले माल वाहनों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

हमने अवलोकित किया कि जाँच चौकियों में, कोई वाहनवार अभिलेख संधारित नहीं किया जाता है। अतः हम निष्पादन लेखापरीक्षा में समाविष्ट अवधि के दौरान जाँच चौकियों से गुजरने वाले वाहनों की वास्तविक संख्या निर्धारित नहीं कर

सके। तथापि, संबंधित जाँच चौकी अधिकारियों द्वारा जाँच चौकियों से प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों की औसत संख्या उपलब्ध कराई गई थी। जब हमने भौतिक रूप से सत्यापित वाहनों के आधार पर 2006–07 से 2010–11 के दौरान सात जाँच चौकियों में संरिथ्त शास्ति प्रकरणों की संख्या के साथ आँकड़ों की तुलना की तो यह पाया कि भौतिक रूप से सत्यापित वाहनों की संख्या जाँच चौकियों से प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों की कुल संख्या के सुसंगत नहीं थी, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

क्र. सं.	जाँच चौकी का नाम	जाँच चौकी से प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों की औसत संख्या (विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार)	अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान भौतिक सत्यापन		
			(1)	(2)	(3)
1.	बालसमुन्द	2,500		09	15.48
2.	सिकरोदा	968		09	1.43
3.	दिनारा	353		निरंक	निरंक
4.	नयागांव	1,361		09	1.97
5.	राजना/ससुन्दरा	1,200		47	8.85

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	पिटोल	900	146	32.88
7.	मांगली	165	35	8.85
	योग	7,447	255	69.46

यह स्पष्ट है कि इन जाँच चौकियों से प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों की औसत संख्या की तुलना में, बालसमुन्द, सिकरौदा, राजना/ससुन्दरा तथा नयागाँव जाँच चौकियों में भौतिक रूप से सत्यापित किये गये वाहनों की संख्या कम है। अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान जाँच चौकी दिनारा में एक भी वाहन का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। यद्यपि बालसमुन्द, नयागाँव तथा राजना/ससुन्दरा की तुलना में, पिटोल में यातायात कम था फिर भी सबसे अधिक संख्या में वाहनों का भौतिक सत्यापन करने के परिणामस्वरूप शास्ति की अधिकतम राशि वसूल की गई थी। अतः यदि शासन/विभाग द्वारा जाँच चौकियों से गुजरने वाले वाहनों के भौतिक सत्यापन के लिए कोई दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये गये होते, तो कर अपवंचन के और अधिक प्रकरणों का पता लगाया जा सकता था।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में, विभाग ने आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और बताया कि भौतिक सत्यापन अपेक्षित नहीं था क्योंकि यह स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्त के विरुद्ध है। केवल संदेहपूर्ण वाहनों की जाँच की जानी है। यह भी बताया गया कि जाँच चौकियों से वाहनों के गुजरने के पश्चात नियमित रूप से वाहनों की मोबाइल जाँच की जाती है। मानव शक्ति की कमी के कारण भी और अधिक भौतिक सत्यापन संभव नहीं था।

2.9.12 जाँच चौकियों में अपर्याप्त अधोसंरचना

चूंकि जाँच चौकियों पर चौबीस घंटे कार्य किया जाना अपेक्षित है, अतः जाँच चौकियों में कुशल कार्य संचालन के लिए अधोसंरचना सुविधाएं जैसे तौल कांटा, पार्किंग यार्ड, रोकड़ तिजोरी, दूरभाष, पेय जल, प्रसाधन आदि होना आवश्यक समझा जाता है।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि :-

- सात जाँच चौकियों में से चार⁷ में स्थाई भवन उपलब्ध नहीं था।
- परिवहनकर्ताओं द्वारा जमा की गई शास्ति की

राशि को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी जाँच चौकी में रोकड़ तिजोरी उपलब्ध नहीं थी।

- निरुद्ध माल का भौतिक सत्यापन करने के लिए आवश्यक पार्किंग यार्ड, गोदाम, क्रेन, तौल कांटा आदि किसी भी जाँच चौकी में उपलब्ध नहीं थे।

⁷ सिकरौदा, दिनारा, नयागाँव तथा मांगली।

- परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का वृत्त कार्यालयों से तत्काल प्रति-सत्यापन के लिए आवश्यक कम्प्यूटर/इन्टरनेट तथा दूरभाष पिटोल को छोड़कर, जहाँ दूरभाष सुविधा प्रदान की गई है, किसी भी जाँच चौकी में उपलब्ध नहीं था।
- पेय जल सुविधा किसी भी जाँच चौकी में उपलब्ध नहीं थी जबकि सात जाँच चौकियों में से केवल दो⁸ पर प्रसाधन एवं विश्राम कक्ष उपलब्ध थे। चूंकि जाँच चौकियों पर 24 घंटे कार्य किया जाता है, अतः ऐसी आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता से जाँच चौकियों के कार्य संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(दिनारा एवं सिकरोदा जाँच चौकियों में पड़े हुए पारगमन पत्रों के बड़ल⁹)

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में, विभाग ने प्रेक्षण स्वीकार किया तथा आश्वस्त किया कि नई अधोसंरचना यथाशीघ्र तैयार की जायेगी।

⁸ ससुन्दरा तथा पिटोल।

⁹ विभाग की अनुमति से समीक्षा दल द्वारा डिजिटल कैमरा से फोटोग्राफ लिये गये।

2.9.13 परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 49 में दर्ज टिन के सत्यापन के लिए प्रावधान न होना

म0प्र0 के पंजीकृत व्यवसाइयों द्वारा आयात या निर्यात की जा रही अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में जाँच चौकियों पर परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रपत्र 49 में प्रस्तुत घोषणापत्रों में अन्य बातों के साथ—साथ ऐसे पंजीयत व्यवसाइयों का नाम, पता तथा टिन आदि का भी उल्लेख रहता है। प्रपत्र 49 ऐसे अन्तर्राज्यीय व्यापार में संलग्न पंजीयत व्यवसाइयों द्वारा कर की देयता एवं भुगतान पर निगरानी रखने का एक साधन है। तथापि, जाँच चौकियों पर घोषणापत्रों को स्वीकार करते समय व्यवसाइयों के पंजीयन की स्थिति के सत्यापन के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है जिससे उनकी सत्यता की और ऐसे घोषणापत्रों के तहत परिवहित किये जा रहे माल में अंतर्निहित कर का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए इनकी वास्तविकता की जाँच की जा सके।

विभाग में पंजीयत नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में, विभाग ने प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा आश्वस्त किया कि सभी जाँच चौकियों को इन्टरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। विभागीय वेबसाइट से प्रपत्र 49 डाउनलोड करने की शुरुआत कर, इस पक्ष पर ध्यान दिया जायेगा।

विभागीय वेबसाइट ¹⁰ से घोषणापत्रों के यादृच्छिक सत्यापन करने पर, हमने पाया कि तीन जाँच चौकियों¹¹ में स्वीकार किये गये तीन घोषणापत्रों में दर्ज तीन व्यवसाइयों में से, दो पंजीयत नहीं थे जबकि एक व्यवसाई का पंजीयन 31 जनवरी 2009 से निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार, इन तीन घोषणापत्रों के तहत आयातित वस्तुओं के कुल बीजक मूल्य ₹ 20.60 लाख में अंतर्निहित कर राशि ₹ 1.18 लाख से शासन वंचित हो गया क्योंकि इन वस्तुओं के आयातकर्ता

¹⁰ MPtax.net

¹¹ मांगली, राजना तथा सिकरोदा।

2.9.14 अभिलेखों के संधारण पर निगरानी में कमी

- हमने निर्धारित पंजियों के संधारण में निम्नलिखित अनियमितताएं अवलोकित की :–

आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29 अगस्त 2005 तथा 31 मार्च 2006 में विभिन्न पंजियाँ विहित की गई हैं जिनको जाँच चौकियों में संधारित किया जाना अपेक्षित है। वृत्त कार्यालयों को घोषणापत्रों के अग्रेषण से संबंधित जानकारी अभिलेखित करने के लिए जाँच चौकियों पर प्रपत्र 49 में घोषणापत्रों की बैच पंजियाँ संधारित की जानी अपेक्षित हैं।

स.क्र.	पंजी का नाम	अनियमितता
1.	रिसीट बुक (एम पी टी सी 6) स्टॉक पंजी	सातों जाँच चौकियों में संधारित नहीं
2.	आने वाले वाहनों की पंजी	बालसमुन्द, नयागांव, राजना/ससुन्दरा तथा सिकरोदा जाँच चौकी में संधारित नहीं
3.	फार्म 50 की पंजी	दिनारा, मांगली तथा सिकरोदा जाँच चौकी में संधारित नहीं
4.	अवरुद्ध किये गये वाहनों की पंजी	सात जाँच चौकियों में से पिटोल के सिवाय कहीं संधारित नहीं
5.	वस्तुओं की अनलोडिंग पंजी	पिटोल को छोड़कर किसी भी जाँच चौकी में संधारित नहीं

प्रभावी परिवीक्षण हेतु पंजियों की आवधिक बंदी कर उन्हें जाँच चौकी अधिकारी या उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं।

- परिणामस्वरूप, जाँच चौकियों में संधारित पंजियों में से एक भी पंजी की आवधिक बंदी नहीं की गई थी तथा उन्हें जाँच चौकी अधिकारी या उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके कारण जाँच चौकी अधिकारी/उच्च प्राधिकारी व्यवसाइयों के कर निर्धारण प्रकरणों के निराकरण को सुगम बनाने के लिए समय पर वृत्त कार्यालयों को घोषणापत्रों के अग्रेषण पर निगरानी रखने में असमर्थ रहे। प्रपत्र 50 में घोषणापत्र अग्रेषित न करने के कारण राजस्व की हानि को अनुवर्ती कंडिकाओं में इंगित किया गया है।
- नवम्बर 2010 से मार्च 2011 के दौरान सात जाँच चौकियों के अभिलेखों की समीक्षा में हमने दिनारा तथा मांगली जाँच चौकियों में अवलोकित किया कि प्रपत्र 49 की बैच पंजियाँ संधारित नहीं की गई थीं जबकि चार जाँच चौकियों¹² में उन वृत्त कार्यालयों

¹² बालसमुंद, नयागांव, राजना तथा सिकरोदा।

की अभिस्वीकृति से संबंधित कोई प्रविष्टियाँ नहीं की गई थीं जिनको प्रपत्र 49 में घोषणापत्र अग्रेषित किये गये थे। इसलिए हम इन वृत्त कार्यालयों को घोषणापत्रों के सामयिक प्रेषण को सत्यापित नहीं कर सके। तथापि, जाँच चौकी बालसमुन्द में दो वृत्त कार्यालयों¹³ की अभिस्वीकृति प्राप्तियों की समीक्षा में हमने अवलोकित किया कि मार्च 2007 के बैच वृत्त कार्यालय झाबुआ में मार्च 2010 में प्राप्त हुए। इसी प्रकार दिसम्बर 2006 से जून 2009 से संबंधित मासिक बैच वृत्त कार्यालय नीमच में जनवरी 2010 में प्राप्त हुए। इस प्रकार, वृत्त कार्यालयों को विलम्ब से अग्रेषित करने के कारण प्रपत्र 49 में घोषणा पत्रों को व्यवसाइयों की विवरणियों की जाँच/कर निर्धारण के समय आयात क्रय का सत्यापन करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में, विभाग ने बताया कि सभी जाँच चौकियों का बहुत शीघ्र कम्यूटरीकरण किया जा रहा है तथा इसके पश्चात कम्यूटर प्रणाली के माध्यम से प्रभावी परिवीक्षण संभव होगा।

2.9.15 कार्यकारी नियमावली तैयार करना

अधिनियम तथा नियमों के अतिरिक्त, किसी संस्था की कार्यकारी नियमावली अनुदेशों का एक ऐसा समेकित समूह है जिसका अनुपालन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किया जाना अपेक्षित है तथा जो पूरे राज्य में मानक कार्यसंचालन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करती है। हमने अवलोकित किया कि जाँच चौकियों के दिन—प्रतिदिन कार्य संचालन के लिए विभाग में कोई कार्यकारी नियमावली तैयार नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में, विभाग ने बताया कि विभागीय एप्लीकेशन साप्टवेयर (जाँच चौकियों की कार्यप्रणाली सहित) के प्रवर्तन माड्यूल के लिए उपयोगकर्ता नियमावली वाणिज्यिक कर विभाग के सभी उपयोगकर्ता के लिए आनलाईन उपलब्ध है। विभागीय नियमावली भी तैयार की जायेगी।

2.9.16 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा, आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधनों में से एक है तथा यह प्रबन्धन के लिए “आंख” और “कान” की तरह कार्य करता है। यह स्वतंत्र रूप से इसका मूल्यांकन करता है कि क्या संस्था की गतिविधियों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी तरीके से संचालित किया जा रहा है। हमने अवलोकित किया कि अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान समीक्षा के लिए चयनित जाँच चौकियों में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

¹³ झाबुआ तथा नीमच।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में विभाग ने बताया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किये जा रहे थे।

2.9.17 शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण के कारण राजस्व की हानि

म0प्र० वैट अधिनियम की धारा 57(8) में प्रावधान है कि यदि कोई परिवहनकर्ता अधिसूचित वस्तुओं से संबंधित निर्धारित घोषणापत्रों सहित सभी दस्तावेज जाँच चौकी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहता है या अन्य वस्तुओं से संबंधित बीजक, बिल, चालान तथा बिल्टियाँ अपने साथ लेकर नहीं चलता है या गलत या जाली दस्तावेज या घोषणापत्र प्रस्तुत करता है, तो वह शास्ति या शास्ति के बदले में एक मुश्त राशि के भुगतान का दायी होगा जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः—

अवधि	अधिकतम शास्ति	न्यूनतम शास्ति	समझौता राशि के रूप में देय एकमुश्त राशि
1.04.2006 से 31.03.2007	कर का 3.5 गुना	कर का 3 गुना	कर का 2 गुना
1.04.2007 से 11.05.2008	कर का 10 गुना	कर का 8 गुना	कर का 5 गुना
12.05.2008 से 31.07.2009			कर का 3 गुना
1.08.2009 से 31.03.2011	कर का 7 गुना	कर का 5 गुना	कर का 3 गुना

(उपरोक्त अधिनियम की धारा 57(8) के अंतर्गत, कर (उपरोक्त तालिका में) का आशय वैट से है जो देय होता यदि माल निरीक्षण दिनांक को राज्य के भीतर विक्रय किया गया होता ।)

किया और बताया कि म0प्र० वैट अधिनियम 2002 की धारा 57(8) में 1 अप्रैल 2011 से जोड़े गये स्पष्टीकरण के अनुसार, निर्माण संविदाओं के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली मशीनरी का ठेकेदारों द्वारा क्रय किये जाने पर वैट आरोपणीय नहीं था।

विभाग का अभिमत सुसंगत नहीं है। लेखापरीक्षा की आपत्ति है कि अधिनियम की धारा 57(8) के प्रावधानों के अनुसार शास्ति वैट पर आरोपित की जानी चाहिये थी न की प्रवेश कर पर।

2.9.17.1 चार जाँच चौकियों¹⁴ में नमूना जाँच किये गये 1,423 शास्ति प्रकरणों में हमने अवलोकित किया कि नौ प्रकरणों में, राज्य में माल का विक्रय किये जाने की स्थिति में देय वैट के बजाय निरुद्ध किये गये माल पर देय प्रवेश कर की आधार दर लेते हुए चूककर्ताओं पर गलत ढंग से शास्ति आरोपित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.93 लाख शास्ति की कम वसूली हुई।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में, विभाग ने प्रेक्षण को स्वीकार नहीं

¹⁴ बालसमुन्द, नयागाँव, पिटोल, राजना/ससुन्दरा।

म0प्र० वैट अधिनियम की धारा 57(10) के अनुसार, यदि परिवहनकर्ता वाहन अथवा कैरियर को जाँच चौकी में लाने अथवा रोकने से बचने का प्रयास करता है तो जाँच चौकी अधिकारी अधिकतम अतिरिक्त शास्ति आरोपित कर सकेगा जो उस कर की राशि के दो गुना के बराबर होगी जो देय होता यदि वस्तुओं का क्रय म0प्र० के भीतर किया गया होता ।

रोका गया था, फिर भी जाँच चौकी अधिकारियों ने ₹ 10.98 लाख के बराबर अधिकतम अतिरिक्त शास्ति आरोपित नहीं की ।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में, विभाग ने आपत्ति स्वीकार की और उन प्रकरणों में, जहाँ परिवहनकर्ता अपने वाहनों या मालवाहक को जाँच चौकियों पर लाने या रोकने से बचते हैं, अधिकतम अतिरिक्त शास्ति आरोपित करने के लिए जाँच चौकियों को अनुदेश जारी करने पर सहमत हुए ।

2.9.18 कर के अनारोपण के कारण राजस्व की हानि

म0प्र० वैट अधिनियम की धारा 57(15) तथा (16) के अनुसार, यदि कोई परिवहनकर्ता प्रेषक, प्रेषिती अथवा परिवहित वस्तु के बारे में जानकारी देने में विफल रहता है अथवा जाली दस्तावेजों के साथ वस्तुओं का परिवहन करता है तो शास्ति आरोपित करने के अतिरिक्त यह माना जायेगा कि उसके द्वारा इस प्रकार परिवहित वस्तुओं को म0प्र० में विक्रय किया गया है तथा वह कर के आरोपण, संग्रहण तथा कर निर्धारण के उद्देश्य के लिये व्यवसाई माना जायेगा ।

मानकर इन प्रकरणों को करारोपण के लिए वृत्त कार्यालयों को अग्रेषित करने में विफल रहे । इसके परिणामस्वरूप परिवहित की जा रही वस्तुओं के मूल्य में अंतर्निहित ₹ 38.67 लाख कर की वसूली नहीं हुई ।

2.9.17.2 चार जाँच चौकियों¹⁵ में नमूना परीक्षित 928 शास्ति प्रकरणों में हमने अवलोकित किया कि 30 शास्ति प्रकरणों में, ₹ 5.49 लाख के कर से अंतर्निहित माल ले जा रहे परिवहनकर्ता जाँच चौकियों पर अपने वाहनों को लाने या रोकने से बचने का प्रयास कर रहे थे । उनके वाहनों को जाँच चौकी अधिकारियों द्वारा बलपूर्वक

सात जाँच चौकियों में 1,628 शास्ति प्रकरणों की नमूना जाँच में, हमने अवलोकित किया कि 379 शास्ति प्रकरणों में ऐसे परिवहनकर्ताओं पर शास्ति आरोपित की गई थी जो प्रेषक, प्रेषिती अथवा वस्तुओं के बारे में जानकारी देने में विफल रहे अथवा जिन्होंने जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये । तथापि, जाँच चौकी अधिकारी ऐसे परिवहनकर्ताओं को व्यवसाई

¹⁵ बालसमुन्द, माँगली, राजना/ससुंदरा तथा सिकरोदा ।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में, विभाग ने बताया कि अधिनियम के अनुसार जाँच चौकी अधिकारी करारोपण तथा वसूली के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। फिर भी, ऐसे प्रकरणों को वृत्त कार्यालयों को अग्रेषित करने हेतु अनुदेश जारी किये जायेंगे जिससे इन पर कर निर्धारण की कार्यवाही के समय ध्यान दिया जा सके।

2.9.19 वृत्त कार्यालयों को जाँच चौकी घोषणापत्र विलम्ब से अग्रेषित करने के कारण राजस्व की वसूली न होना

आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा दिसम्बर 2005 में जारी अनुदेशों के अनुसार, जाँच चौकियों में संग्रहीत किये गये घोषणापत्रों को सेडमेप द्वारा उनकी डाटा प्रविष्ट करने के पश्चात् मासिक बैचों में वृत्त कार्यालयों को अग्रेषित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3(2) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर 1997 तथा 9 जून 2003 के अनुसार, व्यक्ति/निर्माण ठेकेदार (अपंजीयत) निर्दिष्ट वस्तुओं पर निर्धारित दर से प्रवेश कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन है।

हमने देखा कि सात जाँच चौकियों में से किसी में भी प्रपत्र 50 की पृथक बैच पंजियाँ संधारित नहीं की गई थीं। इसलिए, हम यह सत्यापित नहीं कर सके कि क्या इन जाँच चौकियों में संग्रहीत किये गये फार्म 50 में घोषणापत्र वृत्त कार्यालयों को अग्रेषित किये गये थे। आगे, बालसमुन्द तथा पिटोल जाँच चौकियों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने अवलोकित किया कि, अवधि 2008–09 से 2010–11 के दौरान म0प्र0 में व्यक्तियों/निर्माण ठेकेदारों (अपंजीयत) द्वारा आयात किये गये ₹ 9.01 करोड़ मूल्य की अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में

परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रपत्र 50 में प्रस्तुत किये गये 81 घोषणापत्र संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारियों को अग्रेषित नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं पर ₹ 21.02 लाख के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने के बाद, जाँच चौकी अधिकारी, बालसमुन्द ने बताया (दिसम्बर 2010) कि 51 प्रकरणों में परीक्षण के बाद कार्रवाई की जायेगी। शेष दो प्रकरणों में, जाँच चौकी अधिकारी, बालसमुन्द ने कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और यह बताया कि प्रपत्र 50 के सत्यापन के आधार पर वृत्त कार्यालयों में कार्रवाई की जाती है न कि जाँच चौकी पर। उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रपत्र 50 में दिये गये घोषणापत्र आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित वृत्त कार्यालयों को अग्रेषित क्यों नहीं किये गये। जाँच चौकी अधिकारी, पिटोल (मार्च 2011) ने बताया कि वर्ष 2008–09 के शेष घोषणापत्रों को संबंधित वृत्त कार्यालयों को अग्रेषित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिये थे।

2.9.20 पारगमन पत्र के अंतर्गत माल के आवागमन की निगरानी में कमी

म0प्र0 वैट अधिनियम की धारा 58 में प्रावधान है कि जब कोई वाहन मध्य प्रदेश के बाहर के किसी स्थान से आकर, मध्य प्रदेश के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने के लिए राज्य से होकर गुजरता है, तो ऐसे वाहन के प्रभारी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् पहली जाँच चौकी (प्रवेश जाँच चौकी) के जाँच चौकी अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र तथा निर्धारित तरीके से पारगमन पत्र प्राप्त करना होगा तथा राज्य से बाहर जाने से पहले ही उसको अन्तिम जाँच चौकी (निर्गम जाँच चौकी) के जाँच चौकी अधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर सुपुर्द करना होगा । प्रवेश तथा निर्गम जाँच चौकियों में निर्धारित प्रारूप में एक पंजी संधारित किया जाना अपेक्षित है ।

2.9.20.1 हमने पंजियों के संधारण में निम्नलिखित अनियमितताएं अवलोकित कीं :—

क्र.स.	पंजी का नाम	अनियमितता
1.	प्रवेश जाँच चौकी में दस्तावेजों/चालान की पंजी	नयागांव जाँच चौकी में संधारित नहीं की गई । बालसमुन्द, सिकरौदा, दिनारा तथा राजना/ससुन्दरा जाँच चौकियों में प्रेषिती/प्रेषक/परिवहनकर्ता का नाम, वस्तु का नाम/मूल्य, पल्टी का स्थान आदि से संबंधित प्रविष्टियां पूर्ण नहीं की गई ।
2.	निर्गम जाँच चौकी में दस्तावेजों/चालान की पंजी	नयागांव जाँच चौकी में संधारित नहीं की गई । पिटोल, मांगली तथा दिनारा जाँच चौकियों में “निर्गम जाँच चौकी में सूचना देने के लिए पारगमन पत्र में उल्लिखित दिनांक तथा समय” के कालम में प्रविष्टियां नहीं की गई । हमने अवलोकित किया कि चयनित माहों के दौरान यद्यपि 44 पारगमन पत्र 10 से 112 दिनों के पश्चात् इन निर्गम जाँच चौकियों में सुपुर्द किये गये, फिर भी, विलंब के संबंध में कोई कारण/टिप्पणी निर्धारित कालम में दर्ज नहीं की गई ।

पंजियों का संधारण न किये जाने/अपूर्ण संधारण किये जाने से विभाग ने यह सुनिश्चित करने का अवसर खो दिया कि अन्य राज्यों में जाने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाला माल वास्तविक रूप से अन्य राज्यों को भेजा जाता है या राज्य के भीतर ही वांछित प्रवेश कर के भुगतान के बिना उसका निवर्तन किया जा रहा है ।

म0प्र० वैट अधिनियम की धारा 58 में प्रावधान है कि प्रवेश जाँच चौकी का जाँच चौकी अधिकारी उसके द्वारा जारी किये गये पारगमन पत्र में सन्निहित जानकारी निर्गम जाँच चौकी के जाँच चौकी अधिकारी को भेजेगा । यदि प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर, पारगमन पत्र निर्गम जाँच चौकी पर सुपुर्द नहीं किया जाता है तो निर्गम जाँच चौकी का जाँच चौकी अधिकारी इस तथ्य को प्रवेश जाँच चौकी के जाँच चौकी अधिकारी की जानकारी में लायेगा, और जो यह मान कर कि ऐसे पारगमन पत्र में उल्लिखित माल परिवहनकर्ता द्वारा राज्य के भीतर विक्रय किया जा चुका है, अधिनियम की धारा 57 के तहत परिवहनकर्ता से शास्ति की वसूली के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करेगा ।

2.9.20.2 पारगमन पत्र के अंतर्गत माल (वस्तुओं) के आवागमन पर कुशलतापूर्वक निगरानी रखने तथा चूककर्ताओं को शीघ्रता से पकड़ने के लिए, पारगमन पत्रों की डाटा प्रविष्टि तथा मिस–मैच रिपोर्ट (पारगमन पत्र जारी किये गये, लेकिन निर्गम जाँच चौकी पर सुपुर्द नहीं किये गये) को तैयार करने से संबंधित कार्य का दायित्व सेडमेप को सौंपा गया है और यह कार्य प्रत्येक जाँच चौकी पर किया जाता है ।

हमने अवलोकित किया कि सेडमेप ने डाटा प्रविष्टि के लिए

एक माह के अंतरालों पर प्रवेश तथा निर्गम जाँच चौकियों से पारगमन पत्र एकत्रित किये तथा दो से छः माह के बाद डाटा प्रविष्टि पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण—पत्र के साथ एक माह से संबंधित पारगमन पत्र जाँच चौकियों को वापस किये । पारगमन पत्रों की डाटा प्रविष्टि में हुए विलम्ब के कारण मिस मैच रिपोर्ट भी विलम्ब से तैयार की गई थीं । इसके परिणामस्वरूप, पांच जाँच चौकियों¹⁶ में सेडमेप द्वारा तैयार मिस मैच रिपोर्टों के आधार पर 8,241 शास्ति प्रकरण संस्थापित किये गये जिसमें से मार्च 2011 तक 5,283 प्रकरण निराकरण के लिए शेष रहे क्योंकि परिवहनकर्ताओं का पता नहीं लगाया जा सका तथा उनको सूचना पत्र तामील नहीं कराये जा सके । इनमें से दो जाँच चौकियों¹⁷ के 310 प्रकरणों में ₹ 6.56 करोड़ की शास्ति अंतर्निहित है । शेष प्रकरणों में, विभाग द्वारा शास्ति आरोपित करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की जा सकी क्योंकि पंजियों में आवश्यक विवरण जैसे प्रेषिती/प्रेषक/परिवहनकर्ता का नाम, वस्तुओं का नाम/मूल्य, पल्टी का स्थान आदि दर्ज नहीं किये गये थे । इस प्रकार इन पंजियों के अनुचित संधारण के कारण, विभाग अनिश्चित राशि के राजस्व से वंचित रह गया ।

हमने अवलोकित किया कि दो जाँच चौकियों¹⁸ में शास्ति प्रकरणों (बाहर से आकर बाहर जाने वाले) की पंजी तथा शास्ति प्रकरण नस्तियाँ संधारित नहीं की गई थीं । हमने सेडमेप से माह अप्रैल 2009 तथा अक्टूबर 2010 के लिए इन दो जाँच चौकियों के पारगमन पत्रों का डाटा

¹⁶ दिनारा, मांगली, नयागाँव, पिटोल तथा राजना ।

¹⁷ दिनारा तथा नयागाँव ।

¹⁸ बालसमुंद तथा सिकरोदा ।

एकत्र किया तथा सुपुर्द न किये गये पारगमन पत्रों तथा दोषी वाहनों का पता लगाने के लिए इन जाँच चौकियों से जारी पारगमन पत्रों का निर्गम जाँच चौकियों को सुपुर्द किये गये पारगमन पत्रों से मिलान किया गया। सत्यापन के परिणामों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :—

प्रवेश जाँच चौकी का नाम	अवधि/दिनांक जिसके लिए जारी पारगमन पत्रों का सत्यापन किया गया जारी किये गये पारगमन पत्रों की संख्या	पारगमन पत्रों के सत्यापन का परिणाम	सुपुर्द न किये गये पारगमन पत्रों के माल का दर्ज मूल्य (₹ करोड़ में)	अंतर्निहित कर (₹ करोड़ में)	वसूली के लिए शेष शास्ति (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालसमुन्द	9 अप्रैल 2009 निर्गम जाँच चौकी डोगरगांव तथा नयागांव के लिए 524 पारगमन पत्र जारी किये गये।	निर्गम जाँच चौकियों में 57 पारगमन पत्र सुपुर्द नहीं किए गये जिनमें से केवल 41 पारगमन पत्रों में वस्तु का नाम तथा मूल्य का उल्लेख किया गया था। शेष पारगमन पत्र चालानों/दस्तावेजों के आधार पर जारी किये गये थे जिनमें वस्तु का विवरण दर्ज नहीं था।	2.43	0.17	1.38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिकरौदा	1 से 18 अप्रैल 2009 निर्गम जाँच चौकियों चौकी गावडी तथा राजना के लिए 4,985 पारगमन पत्र जारी किये गये ।	निर्गम जाँच चौकियों में 650 पारगमन पत्र सुपुर्द नहीं किये गये जिनमें से केवल 279 पारगमन पत्रों में वस्तु का नाम तथा मूल्य का उल्लेख किया गया था । शेष पारगमन पत्र चालानों/दस्तावेजों के आधार पर जारी किये गये थे जिनमें वस्तु का विवरण दर्ज नहीं था ।	19.06	1.44	11.49
	1 से 15 अक्टूबर 2010 7,412 पारगमन पत्र ¹⁹	निर्गम जाँच चौकियों में 1,334 पारगमन पत्र सुपुर्द नहीं किये गये जिनमें से केवल 905 पारगमन पत्रों में वस्तु का नाम तथा मूल्य का उल्लेख किया गया था । शेष पारगमन पत्र चालानों/दस्तावेजों के आधार पर जारी किये गये थे जिनमें वस्तु का विवरण दर्ज नहीं था ।	89.59	8.56	42.82
		योग	111.08	10.17	55.69

मिसमैच रिपोर्ट के अभाव में, ₹ 55.69 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की जा सकी ।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में, विभाग ने प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया और बताया कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के प्रवर्तन मॉड्यूल के माध्यम से बाहर से आकर बाहर जाने वाले सभी वाहनों का मिलान करने के लिए व्यवस्था थी । अनुवर्ती प्रविष्टियों में चूककर्ता ट्रकों का पता लगाने के लिए ट्रकों के नम्बर दर्ज करने की भी व्यवस्था थी ।

¹⁹ निर्गम जाँच चौकियों पिटोल, बालसमुन्द, फतेहपुर, खापा करीमवार, राजना, खवासा, रजेगांव, मांगली, हनुमना, दिनारा तथा कुंवरगढ़ के लिए जारी ।

तथ्य यह है कि यद्यपि बाहर से आकर बाहर जाने वाले वाहनों का मिलान करने के लिए मॉड्यूल है, लेकिन मिस मैच रिपोर्टों को विलंब से सृजित करने के कारण ऐसे माड्यूल के होने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है तथा इस तथ्य को लेखापरीक्षा प्रेक्षण में प्रमुखता से दर्शाया गया था।

सूचना प्रणाली संबंधी निष्कर्ष


2.9.21 प्रस्तावना

जाँच चौकियों में प्राप्त घोषणापत्रों (प्रपत्र 85 तथा प्रपत्र 75) के कम्प्यूटरीकरण के पूर्व, बाहर से आकर बाहर जाने वाले परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रवेश जाँच चौकी तथा निर्गम जाँच चौकी पर प्रस्तुत प्रपत्र 85 की दो प्रतियों का मिलान मैनुअली किया जाता था। इस प्रकार मिस मैच रिपोर्ट निकालना बहुत कठिन कार्य था तथा इस बात का परिवहनकर्ताओं द्वारा अपने लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था। इसलिए, विभाग द्वारा (सितम्बर 2005), बाहर से आकर बाहर जाने वाले माल के परिवहनकर्ताओं द्वारा भारी कर अपवंचन को रोकने के लिए जाँच चौकियों में प्राप्त घोषणापत्रों की डाटा प्रविष्टि करने का निर्णय लिया गया। कम्प्यूटरीकरण का कार्य जिसमें घोषणापत्रों (प्रपत्र 85 तथा 88/49), पारगमन पत्रों की डाटा प्रविष्टि, इन पारगमन पत्रों का मिलान तथा मिस मैच रिपोर्ट तैयार करना आदि कार्य शामिल था, म०प्र० सरकार के एक उपक्रम, उद्यमिता विकास केन्द्र, मध्य प्रदेश (सेडमेप) को प्रदान किया गया था।

हमने सेडमेप द्वारा विकसित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में नियंत्रणों की प्रभावकारिता की समीक्षा करने का निर्णय लिया।

2.9.22 प्रणालीगत संरचना तथा कार्य का अनुक्रम

एप्लीकेशन साफ्टवेयर आपरेटिंग सिस्टम विन्डोज 98/एक्सपी विजुअल बेसिक (6) पर आधारित है। डाटाबेस एम एस एक्सेस में संधारित किया जाता है तथा प्रणालियों को स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एल.ए.एन.) के माध्यम से जोड़ा गया है।



घोषणापत्रों तथा पारगमन पत्रों की डाटा प्रविष्टि एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये आपरेटरों द्वारा जाँच चौकियों/सेडमेप केन्द्रों में की जाती है। एक माह का डाटा इन्दौर में समेकित कर मिस मैच रिपोर्ट तैयार की जाती है जो केन्द्रीय सर्वर पर पोर्टिंग के लिए सी.डी. (टैक्स्ट फार्मेट) में विभागीय मुख्यालय तथा विभिन्न वृत्त कार्यालयों को प्रेषित करने के लिए भेजी जाती है। मिस मैच रिपोर्ट बनाने के लिए, प्रवेश तथा निर्गम जाँच चौकियों पर पारगमन पत्रों/चालानों पर चिपकाये गये बारकोडों का मिलान किया जाता है तथा जब आने वाले वाहन का डाटा दर्शाया जा रहा हो लेकिन कोई बाहर जाने वाला वाहन दर्ज नहीं होता है तो उसे मिस मैच के रूप में चिन्हित किया जाता है। ऐसे मिस मैच के लिए अवधि एक ही इनकमिंग तथा आउटगोइंग माह होता है तथा आगामी माह के लिए आउटगोइंग डाटा लिया जाता है।

2.9.23 सूचना तकनीकी नियंत्रण

सामान्य नियंत्रण

योजना

हमने अवलोकित किया कि कम्प्यूटरीकरण का कार्य सेडमेप को सितम्बर 2005 में सेडमेप द्वारा स्वयं के प्रस्ताव के आधार पर प्रदान किया गया। आयुक्त, वाणिज्यिक कर (17 अगस्त 2005) द्वारा विभाग के प्रमुख सचिव को प्रस्तुत एक नोट के आधार पर विभाग द्वारा इस कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई जिसमें प्रस्ताव तथा सेडमेप द्वारा उद्धृत दरों को अनुमोदित कर अनुशंसित किया गया। इस प्रकार विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दर का लाभ नहीं मिल सका। हमने यह भी देखा कि कार्य आवंटन के समय सेवा प्रदाता के साथ कोई अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं हआ था। इससे न केवल विभागीय हितों को नुकसान पहुँचता है बल्कि एकपक्षीय दर वृद्धि तथा अवमानक सेवा गुणवत्ता की स्थिति में विभाग की स्थिति को कमजोर करता है।

हमने आगे देखा कि विभाग/सेडमेप द्वारा औपचारिक रूप से उपयोगकर्ता की आवश्यकता विशिष्टीकरण या यूजर रिकायरमेन्ट स्पेसीफिकेशन (यू आर एस) तैयार नहीं किया गया तथा यह दिखाने के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था कि तैयार सेडमेप द्वारा प्रणाली आरेख दस्तावेज या सिस्टम डिजाइन दस्तावेज विभाग द्वारा जाँचा तथा अनुमोदित किया गया है। जब हमने इसे इंगित किया, उपायुक्त ने बताया (मई 2011) कि विभाग की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के पश्चात, सेडमेप से सिस्टम डिजाइन का प्रस्ताव प्राप्त किया गया था। हमारी राय यह है कि विस्तृत यू आर एस तैयार करने से उन प्रणालीगत कमियों को दूर किया जा सकता था जिन्हें अनुवर्ती कंडिकाओं में प्रमुखता से दर्शाया गया है।

कार्यान्वयन

सितम्बर 2005 में प्रदान की गई प्रशासनिक स्वीकृति में प्रावधान किया गया था कि प्रपत्र 49/55 तथा पारगमन पत्रों की डाटा प्रविष्टि जाँच चौकियों में सेडमेप द्वारा की जायेगी, जिसके लिए जाँच चौकियों में जगह, फर्नीचर तथा बिजली की आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी तथा कम्प्यूटर सिस्टम, आपरेटर्स तथा लेखन सामग्री आदि सेडमेप द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। लेकिन सेडमेप द्वारा विभाग को पोर्टिंग/परिचालन के लिए घोषणापत्रों/मिस मैच रिपोर्टों के डाटा को आवधिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए कोई नियत समयावधि उपरोक्त प्रशासनिक स्वीकृति में शामिल नहीं की गई है।

हमने छ: जाँच चौकियों²⁰ में अवलोकित किया कि जाँच चौकियों पर पर्याप्त अधोसंरचना संबंधी सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण प्रपत्र 49/88 तथा पारगमन पत्रों की डाटा प्रविष्टि सेडमेप द्वारा जाँच चौकियों से बाहर अन्य स्थानों पर की गई। हमने देखा कि सेडमेप ने प्रपत्र 49/88 तथा

पारगमन पत्र प्रवेश तथा निर्गम जाँच चौकियों से एक माह के बाद एकत्रित किये तथा डाटा प्रविष्टि पूर्ण करने तथा मिस मैच रिपोर्ट तैयार करने के लिए फिर से दो से छ: माह का समय लिया। कार्य की इस धीमी गति के कारण दोषी परिवहनकर्ताओं तथा व्यवसाइयों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने के विभागीय प्रयासों में बाधा पहुँची। इस प्रकार जैसा कि सेडमेप को कार्य की आउटसोर्सिंग प्रस्तावित करने वाले आयुक्त, वाणिज्यिक कर के नोट में उल्लिखित है, कर अपवंचन को रोकने के लिए चौकी घोषणापत्रों का त्वरित एवं दक्षतापूर्ण सत्यापन तथा मिस मैच प्रकरणों का समय पर पता लगाने का उद्देश्य काफी हद तक अपूर्ण रहा।

भौतिक सुरक्षा

भौतिक सुरक्षा व्यवस्था जैसे अग्निशामक यंत्र, फायर अलार्म तथा धूम्र संसूचक प्रणाली सातों जाँच चौकियों/सेडमेप केन्द्रों में, जहां डाटा प्रविष्टि/प्रोसेसिंग कार्य के लिए कम्प्यूटर सिस्टम रखे गये थे, उपलब्ध नहीं थी।

अग्निशामक उपकरणों की व्यवस्था न होने के परिणामस्वरूप यह जोखिम है कि आग लगने की स्थिति में, विभाग सेडमेप कार्यालयों में डाटा/अभिलेख को हानि से बचाने की स्थिति में नहीं होगा।

²⁰ बालसमुन्द, दिनारा, माँगली, नयागाँव, पिटोल तथा राजना/ससुंदरा।

एप्लीकेशन में अपर्याप्त डाटा फील्ड्स

वस्तु वर्णन तथा मूल्य से संबंधित डाटा फील्ड पारगमन पत्रों के डाटा प्रविष्ट प्रारूप में शामिल नहीं किये गये। इन-डाटा तथा आउट-डाटा में, इन डाटा फील्ड्स के अभाव के कारण, इस डाटा के आधार पर तैयार की गई मिस मैच रिपोर्ट में प्रबंधन के उद्देश्य हेतु कर अपवंचन के प्रकरणों में सन्निहित कर की मात्रा शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, मिस मैच प्रकरणों में शास्ति प्रकरण संस्थापित करने के लिए, अपवंचित कर की राशि तथा आरोपणीय/वसूली योग्य शास्ति की गणना मेनुअली की जाती है। इस प्रकार, पारगमन पत्रों के तहत चलने वाले वाहनों की निगरानी में मैन्यूअल हस्तक्षेप से, मिस-मैच प्रकरणों के त्वरित निराकरण में बाधा पहुँचती है।

2.9.24 इनपुट वैधीकरण नियंत्रण

इनपुट नियंत्रण यह सुनिश्चित करते हैं कि (i) प्रोसेसिंग के लिए प्राप्त डाटा वास्तविक, पूर्ण तथा पूर्व में प्रोसेस नहीं किया गया है एवं उचित रूप से प्राधिकृत है तथा (ii) डाटा सही सही तथा बिना दोहराये हुए प्रविष्ट किया गया है। इनपुट नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में त्रुटि या जालसाजी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत गलत या जाली इनपुट है। इनपुट पर नियन्त्रण प्रणाली की पूर्णता के लिए नितान्त आवश्यक है।

किसी सिस्टम में डाटा इनपुट की शुद्धता सिस्टम में शामिल किये गये बहुत से कम्प्यूटरीकृत वैधता जाँचों को लागू कर नियंत्रित की जा सकती है। स्वचालित वैधीकरण जाँचे पर्याप्त होनी चाहिये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिस्टम द्वारा स्वीकार किया गया सभी डाटा सभी अनुवर्ती प्रक्रियाओं द्वारा स्वीकार किये जाने योग्य हैं उन सिस्टमों सहित जहाँ डाटा का स्वतः स्थानान्तरण होता है।

2.9.24.1 डुप्लीकेट डाटा की स्वीकृति

आयुक्त, वाणिज्यिक कर के अगस्त 2005 के परिपत्र के अनुसार, प्रत्येक जाँच चौकी में पारगमन पत्र 00.00 बजे से 24.00 बजे तक लगातार संख्याओं में जारी किये जाने चाहिए।

हमने बालसमुच्च जाँच चौकी के 1 अप्रैल 2009 के डाटा की नमूना जाँच की और पाया कि 954 रिकार्ड में से, 15 पारगमन पत्रों को अलग-अलग वाहनों के लिए दो बार प्रविष्ट किया जाना पाया

गया। यह प्रणाली में वैधीकरण नियंत्रणों की कमी के कारण था जिसमें अलग-अलग वाहनों के लिए दोहरे नंबरों को स्वीकार किया जा सकता था। हमने आगे देखा कि ऐसे फील्ड (ट्रांजिट पास नम्बर) का डाटा टाइप “टेक्स्ट” में था जबकि यह न्यूमेरिक फील्ड में होना चाहिए।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात, उपायुक्त ने बताया (मई 2011) कि जाँच चौकी अधिकारियों द्वारा चालानों पर पारगमन पत्र संख्या को मैनुअली दर्ज किया गया था तथा कार्य की अधिकता के कारण जाँच चौकी अधिकारियों का ध्यान बंट जाने के कारण क्रम संख्या लगातार नहीं थी। आगे यह बताया गया कि नम्बरों को दर्ज करते समय हुई चूक को समायोजित करने के लिए डाटा फील्ड को टेक्स्ट में बनाया गया, जिससे नम्बरों तथा अक्षरों का संयोजन प्रविष्ट किया जा सके। हमारी यह राय है कि लॉजिक सिस्टम में आवश्यक परिवर्तन किये जाना चाहिए जिससे इनपुट स्तर पर डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ स्वीकार न की जा सकें।

2.9.24.2 डाटा प्रविष्टि के लिए विकसित किये गये एप्लीकेशन में वैधीकरण जाँचों के अस्तित्व तथा प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करने के लिए हमने प्रपत्र 49/88, पारगमन पत्रों तथा मिस मैच रिपोर्टों के डाटा का आइडिया (IDEA)²¹ एम.एस.एक्सेस एवं एम.एस.एक्सेल का उपयोग कर विश्लेषण किया।

प्रपत्र 49/88 का डाटा

सात जाँच चौकियों के माह अक्टूबर 2010 के नमूना परीक्षित डाटा में, जिसमें 1,12,788 रिकार्ड थे, हमने एप्लीकेशन में वैधता जाँचों की कमी को दर्शाने वाली निम्नलिखित विसंगतियां अवलोकित कीं :

- 853 रिकार्ड में, माल की मात्रा 1,000 मीट्रिक टन या इससे अधिक थी जो अविश्वसनीय है।
- 59 रिकार्ड में, बीजक मूल्य के फील्ड में मात्रा प्रविष्ट की गई थी।
- 22 रिकार्ड में, बीजक मूल्य ₹ 50 करोड़ से ₹ 979 करोड़ के बीच दर्ज था जो अवास्तविक हैं।
- 2,065 रिकार्ड में, यद्यपि माल म.प्र. के बाहर से आयात किया जा रहा था, प्रेषक का स्थान इंदौर, भोपाल, देवास दर्शाया गया था जो म.प्र. के जिले हैं।
- 604 रिकार्ड में, यद्यपि माल म.प्र. से बाहर निर्यात किया जा रहा था, गन्तव्य स्थान इंदौर, देवास, भोपाल तथा सतना दर्शाया गया था जो म.प्र. के जिले हैं।

पारगमन पत्रों तथा मिसमैच रिपोर्टों का डाटा

सभी जाँच चौकियों के माह अप्रैल 2009 के डाटा (इनवार्ड डाटा में 1,26,863 रिकार्ड तथा आउटवार्ड डाटा में 2,42,449 रिकार्ड) में हमने निम्नलिखित विसंगतियां अवलोकित कीं :

²¹

इंटर ऐक्टिव डाटा एक्सट्रैक्सन एण्ड एनालिसिस (अन्तः क्रियात्मक डाटा निष्कासन तथा विश्लेषण)।

- (i) 285 रिकार्ड (आउटवार्ड) तथा 33 रिकार्ड (इनवार्ड) में, बिल्टियों की संख्या शून्य दर्शाई गई है जो कि अमान्य है क्योंकि बिल्टियों के अभाव में पारगमन पत्र जारी नहीं किया जा सकता था ।
- (ii) 17 रिकार्ड (इनवार्ड) में पारगमन पत्र संख्या “एम.पी.”, “एम.एच.”, “68/3”, “226+” आदि दर्शाई गई थीं जो कि बेकार मूल्य हैं तथा 14 प्रकरणों में पारगमन पत्रों के नम्बर दर्ज नहीं पाये गये । इसी प्रकार, जाँच चौकी दिनारा के 30 अप्रैल 2009 के डाटा में हमने देखा कि हमारे द्वारा परीक्षण किये गये 41 रिकार्ड में से पांच पारगमन पत्रों के नम्बर दर्ज नहीं पाये गये ।
- (iii) 117 रिकार्ड (आउटवार्ड) नौ रिकार्ड (इनवार्ड) में तथा मिस—मैच रिपोर्ट के तीन रिकार्ड में ट्रक नम्बर एन.ए—००—एन.ए—०००० दर्ज किया गया था जो अवैध था ।
- (iv) 5,603 रिकार्ड (इनवार्ड) तथा मिस मैच रिपोर्ट के 540 रिकार्ड में, परिवहनकर्ता का नाम “लागू नहीं” (एन.ए.) दर्शाया गया था ।
- (v) 8,064 रिकार्ड (इनवार्ड) तथा मिस मैच रिपोर्ट के 681 रिकार्ड में, परिवहनकर्ता का स्थान “लागू नहीं” (एन.ए.) दर्शाया गया था ।

2.9.25 आउटपुट नियंत्रण

पारगमन के तहत आने जाने वाले दोषी वाहनों/परिवहनकर्ताओं का पता लगाने के लिए सेडमेप द्वारा एक माह के इनवार्ड डाटा तथा आउटवार्ड डाटा में दर्ज बार कोडों का मिलान कर मिस मैच रिपोर्ट तैयार की जाती है । इसलिये, दोषियों का पता लगाने के लिए बारकोड मुख्य फील्ड है ।

प्राप्त हो रहे हैं ।

सभी जाँच चौकियों के अप्रैल 2009 के आउटवार्ड डाटा के विश्लेषण के दौरान हमने अवलोकित किया कि कुल 2,42,449 रिकार्ड में से 286 रिकार्ड में बारकोड नम्बर “लागू नहीं” (एन.ए.) दर्ज किया गया था । 286 रिकार्ड में से, अप्रैल 2009 के इनवार्ड डाटा के संगत 108 अभिलेखों में बारकोड दर्ज पाये गये । यह इंगित करता है कि ये 108 पारगमन पत्र निर्गम जाँच चौकियों पर सुपुर्द किये गये थे । तथापि, इन पारगमन पत्रों/वाहनों में से 25 माह की मिस मैच रिपोर्ट में शामिल पाये गये । इस प्रकार, 25 पारगमन पत्रों/वाहनों को मिस—मैच रिपोर्ट में

आउटपुट नियंत्रण वे नियंत्रण हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि प्राप्त परिणाम स्थापित पैरामीटरों के अनुरूप हैं । अशुद्ध परिणाम इंगित करते हैं कि या तो पैरामीटर स्थापित करने में चूक हुई है या आप्टिकल रिकॉग्निशन सिस्टम के उचित रूप से कार्य न करने के परिणामस्वरूप गलत आउटपुट

शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप ऐसे परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध अनावश्यक शास्ति प्रकरण संस्थापित किये गये जो दोषी नहीं थे ।

2.9.26 परिवर्तन प्रबंधन

सेडमेप द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, विभाग के साथ विचार–विमर्श कर डाटा प्रविष्ट प्रणाली में परिवर्तन आवश्यकताओं को निष्पादित किया गया था । अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 में माल की 34 श्रेणियों की एक सूची दी गई है जिनके लिए मध्य प्रदेश में प्रवेश करते समय जाँच चौकी पर परिवहनकर्ता द्वारा प्रपत्र 49 में घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । 14 जुलाई 2008 से पूर्वोक्त सूची में से माल की तीन श्रेणियों को हटा दिया गया है ।

विभाग ने ऑटोमेटिड सिस्टम में अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए सेडमेप को सूचित नहीं किया ।

हमने सभी जाँच चौकियों के अक्टूबर 2010 के प्रपत्र 49 के डाटा का विश्लेषण किया तथा यह पाया कि 1,12,788 रिकार्ड में से, 1,716 रिकार्ड में तीन श्रेणियों की वस्तुएं दर्ज हैं जो सूची से हटा दी गई थीं । चूँकि 14 जुलाई 2008 से इन वस्तुओं के संबंध में प्रपत्र 49 वांछित नहीं था, संबंधित डाटा फील्ड में इन वस्तुओं का रिकार्ड रखना अनावश्यक हो गया है ।

2.9.27 निष्कर्ष

हमने अवलोकित किया कि कुछ जाँच चौकियों की अवस्थिति कर अपवंचन की जाँच में सहायक नहीं थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शास्ति प्रकरणों को अपेक्षित समयांतरालों में वृत्त कार्यालयों को भेजा गया था, कोई कार्यप्रणाली विद्यमान नहीं थी । हमने देखा कि जाँच चौकियों में अभिलेख के अपूर्ण संधारण तथा प्रपत्र 49 के तहत व्यवसाइयों के टिन का सत्यापन करने के लिए कोई प्रणाली न होने के कारण सारभूत राजस्व की हानि हुई । इसके अतिरिक्त, जाँच चौकियों में अपर्याप्त अधोसंरचना के कारण उनका कुशल कार्यसंचालन गंभीर रूप से बाधित हुआ । 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी । हमने बाहर से आकर बाहर जाने वाले वाहनों की अपर्याप्त निगरानी तथा वृत्त कार्यालयों के साथ समन्वय में, कमी के कारण जाँच चौकियों पर कर एवं शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण के प्रकरणों को भी अवलोकित किया । साथ ही हमने जाँच चौकियों में क्रियान्वयित की गई सूचना तकनीकी प्रणाली के नियंत्रणों में कमी को भी अवलोकित किया ।

2.9.28 अनुशंसाओं का सार

शासन निम्नलिखित अनुशंसाओं को लागू किये जाने के संबंध में विचार कर सकता है :—

- वाहनों के मार्ग बदलने तथा उसके परिणामस्वरूप कर अपवंचन को रोकने के लिए जाँच चौकियों के लिए उपयुक्त अवस्थितियों का चयन करना;
- वृत्त कार्यालयों को शास्ति प्रकरणों की सूचना देने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करना जिससे कर निर्धारण/विवरणियों की जाँच के समय प्रपत्र 49 में घोषणापत्रों द्वारा समर्थित नहीं की गई अधिसूचित वस्तुओं के आयात लेनदेनों के लेखांकन को सत्यापित करने के लिए इनका उपयोग किया जा सके;
- मध्य प्रदेश से बाहर के स्थानों को जाने प्रत्येक माल वाहन का अभिलेख रखने के लिए जाँच चौकियों में पंजी का संधारण करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करना;
- जाँच चौकियों में पदस्थ प्रत्येक निरीक्षक द्वारा साप्ताहिक/मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किये जाने वाले वाहनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करना;
- जाँच चौकियों में कुशल कार्यसंचालन के लिए पर्याप्त अधोसंचना तथा आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना;
- जाँच चौकियों में प्रपत्र 49 स्वीकार करते समय व्यवसाइयों के पंजीयन की स्थिति के सत्यापन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली निर्धारित करना; तथा
- सेडमेप द्वारा डाटा प्रविष्टि को पूर्ण करने तथा डाटा मिस मैच रिपोर्टों के विभाग को आवधिक रूप से प्रस्तुतीकरण के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना ।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में, विभाग ने अंतिम तीन अनुशंसाओं को स्वीकार किया ।

2.10 अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणापत्रों का उपयोग

प्रमुख विशेषताएं

181 घोषणापत्रों को उन व्यवसाइयों द्वारा वापस नहीं किया गया, जिनके पंजीयन प्रमाण—पत्र निरस्त किये गये थे।

(कंडिका 2.10.7)

अपूर्ण घोषणापत्रों पर ₹ 7.29 करोड़ की रियायत अनियमित ढंग से प्रदान की गई।

(कंडिका 2.10.9)

घोषणापत्रों के बिना विक्रय पर ₹ 11.36 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.10.11.1)

कर की गलत दरें लागू किये जाने के कारण ₹ 47.37 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।


(कंडिका 2.10.12)

2.10.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. एक्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवसायी अन्तर्राजीय व्यापार में 'सी', 'ई-1/ई-2' तथा 'एफ' प्रपत्र (फार्म) में निर्धारित घोषणापत्रों के प्रस्तुत करने पर कर से कुछ रियायतों एवं छूट के पात्र होते हैं। इन घोषणापत्रों के प्रस्तुत किये जाने पर व्यवसायी को व्यापार तथा वाणिज्य के विकास हेतु राज्य सरकार ये प्रोत्साहन प्रदान करती है। घोषणापत्रों का उचित लेखाजोखा सुनिश्चित करना तथा इन प्रपत्रों/प्रमाणपत्रों जिन पर प्रदान की गई कर राहत में राजकोष के राजस्व की एक बड़ी राशि अंतर्निहित होती है, का दुरुपयोग रोकने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय करना वाणिज्यिक कर विभाग का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 10 एवं 10 ए में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दण्डिक प्रावधानों की व्यवस्था है।

प्रपत्र 'सी'


केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यवसायी जो अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी पंजीयत व्यवसायी को क्रेता व्यवसायी के पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लिखित श्रेणियों की वस्तुओं का क्रय करता है, ऐसे टर्न ओवर के चार प्रतिशत की रियायती दर (1 अप्रैल 2007 से तीन प्रतिशत तथा 1 जून 2008 से दो प्रतिशत) से कर के भुगतान के दायित्वाधीन होगा यदि ऐसा विक्रय प्रपत्र सी में घोषणापत्रों से समर्थित है।



प्रपत्र 'एफ'

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 6 के अंतर्गत, किसी पंजीयत व्यवसाई द्वारा राज्य के बाहर स्थित अपने व्यवसाय के किसी अन्य स्थान या अन्य राज्यों में अपने अभिकर्ता या प्रमुख को, विक्रय को छोड़कर किसी अन्य रूप से दावा किये गये माल का स्थानान्तरण, ऐसे माल के प्रेषण के साक्ष्य सहित प्रमुख द्वारा सम्यक रूप से भरकर एवं

हस्ताक्षरित प्रपत्र 'एफ' में निर्धारित घोषणापत्रों को प्रस्तुत किये जाने पर कर के आरोपण से मुक्त है। प्रपत्र 'एफ' में घोषणापत्र दाखिल करना मई 2002 तक अनिवार्य नहीं था। तथापि, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसी पूछताछ किये जाने का प्रावधान था जिससे वह ऐसी विक्रय पटिट्यों²², प्रेषण विवरणों, मार्ग देयकों आदि के स्थानान्तरण के वास्तविक उद्देश्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिये आवश्यक समझें। प्रपत्र 'एफ' केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 1957 के नियम 12(5) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। नियम 12(5) के परन्तु के अनुसार, प्रपत्र 'एफ' एक माह में अन्तरण के सभी लेनदेनों के लिए जारी किया जा सकता है।



ऐसे प्रपत्रों का दुरुपयोग होने से रोकने के लिये विभाग में आन्तरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता का परीक्षण करने हेतु हमने अंतर्राज्यीय विक्रय एवं वाणिज्य में घोषणापत्रों के उपयोग में प्रभावकारिता की समीक्षा करने का निर्णय लिया।

2.10.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग प्रमुख हैं। विभाग चार क्षेत्रों में विभाजित है, क्षेत्रीय अपर आयुक्त प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख हैं। सभी क्षेत्र 14 संभागीय कार्यालयों में विभाजित हैं, प्रत्येक संभाग का प्रमुख उपायुक्त होता है। इन संभागीय कार्यालयों के अन्तर्गत 78 वृत्त कार्यालय हैं, जिनके प्रमुख वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक आयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त चार लेखापरीक्षा शाखायें स्थापित की गई हैं, प्रत्येक का प्रमुख उपायुक्त होता है।

²² विक्रय पटिट्यों – वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय विक्रय प्रेषण के दौरान स्थानान्तरण के पूर्ण विवरण–शीर्षक दर्शाने वाला दस्तावेज विक्रय नोट है।

2.10.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा निष्पादित की गई कि क्या :—

- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर मुक्ति/रियायत मूल/वैध घोषणापत्रों से समर्थित थी ;
- टिनएक्सस वेबसाइट में व्यवसाइयों का विवरण तथा प्रपत्रों को अपलोड करने के लिए एक प्रणाली है ; तथा
- जाली, अवैध तथा दोषपूर्ण (उचित अथवा पर्याप्त विवरण के बिना) प्रपत्र प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

2.10.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में 13 सहायक आयुक्तों तथा 13 वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालयों²³ के 2007–08 से 2009–10 की अवधि के दौरान पूर्ण किये गये उन कर निर्धारण प्रकरणों को शामिल किया गया था ; जिनमें केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत छूट/रियायत प्रदान की गई थी । इसका निष्पादन अक्टूबर 2010 और मार्च 2011 के मध्य किया गया । समीक्षा का कार्यक्षेत्र केवल 'सी' तथा 'एफ' प्रपत्रों तक सीमित था । हमने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गई छूटों/रियायतों के उन प्रकरणों को भी शामिल किया है, जिनको 2006–07 से 2009–10 की अवधि से संबंधित नियमित लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया । निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने घोषणापत्रों को सत्यापन के लिए विभिन्न राज्यों में भी भेजा तथा परिणामों को अनुवर्ती कंडिकाओं में सम्मिलित किया गया है ।

2.10.5 अभिस्वीकृति

हम वाणिज्यिक कर विभाग एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने एवं किये गये सहयोग को स्वीकार करते हैं । लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा हेतु एक प्रवेश सम्मेलन जनवरी 2011 में भोपाल में आयोजित किया गया था जिसमें वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त एवं अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग ने भाग लिया । निर्गम सम्मेलन अगस्त 2011 में आयोजित किया गया, जिसमें वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त, निदेशक एवं दो उपायुक्तों ने भाग लिया । विभाग/शासन के दृष्टिकोण को उपयुक्त ढंग से संबंधित कंडिका में सम्मिलित किया गया है ।

²³ सहायक आयुक्त कार्यालय— छिंदवाड़ा(2), वेवास, गुना, इन्दौर(2), इटारसी, खंडवा (2), मुरैना, रतलाम, सागर एवं संघवा ।

वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय— बैतूल, भोपाल(2), होशंगाबाद, इन्दौर (4), इटारसी, जबलपुर, रीवा, सतना एवं उज्जैन ।


2.10.6 राजस्व की प्रकृति

अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान केन्द्रीय विक्रय कर के अंतर्गत कुल कर प्राप्तियों सहित, केन्द्रीय विक्रय कर से वास्तविक प्राप्तियाँ तथा उसी अवधि के दौरान म0प्र0 वैट अधिनियम से प्राप्तियों को निम्न तालिका तथा ग्राफ में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	वर्ष	कुल प्राप्तियाँ (वैट एवं के.वि.क.)	वैट प्राप्तियाँ	के.वि.क. प्राप्तियाँ	प्रतिशत कालम 5 का 3 से
1	2006–07	5,261.41	4,695.57	565.84	10.75
2	2007–08	6,045.07	5,488.14	556.93	9.21
3	2008–09	6,842.99	6,323.22	519.77	7.59
4	2009–10	7,723.82	7,153.83	569.99	7.37
5	2010–11	10,256.76	9,574.04	682.71	6.66

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि विभाग की कुल वैट एवं के.वि.क. प्राप्तियों में केन्द्रीय विक्रय कर के अंशदान में पिछले पांच वर्षों में कमी आयी है।



निर्गम सम्मेलन में विभाग ने बताया (अगस्त 2011) कि कर संग्रहण राशि (केन्द्रीय विक्रय कर का अंशदान) पिछले वर्षों की तुलना में कुल कर प्राप्तियों के सापेक्ष कम रहा है, परन्तु यह कमी केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत से घट कर 2 प्रतिशत हो जाने के कारण हुई है। राजस्व संग्रहण वास्तव में बढ़ रहा है, यदि कर की दर में इस कमी को ध्यान में रखकर विचार किया जाय।

वर्ष 2010–11 में वर्ष 2009–10 की तुलना में वैट प्राप्तियों से मिलान करने पर केन्द्रीय विक्रय कर की प्राप्तियों की वृद्धि दर में कमी हुई है। वैट प्राप्तियों में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि के.वि.क. प्राप्तियों में केवल 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

प्रणालीगत कमियाँ

2.10.7 पंजीयन प्रमाण—पत्र निरस्त किये जाने पर व्यवसाइयों को प्रदाय किये गये घोषणापत्रों को वापस नहीं करना

के.वि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 7(4)(ख) के अनुसार, इस धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया पंजीयत प्रमाण पत्र, इस को स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा, उस व्यवसायी को, जिसे नोटिस प्रदान किया गया है, नियत नोटिस जारी करने के पश्चात इससे संतुष्ट होने पर कि उसने व्यवसाय का संचालन रोक दिया है या वह इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी कर या शास्ति का भुगतान करने में विफल रहा है या किसी पंजीयत व्यवसायी के प्रकरण में, उपयुक्त राज्य के विक्रय कर कानून के तहत कर के भुगतान का दायी नहीं रहा है या अन्य किसी पर्याप्त कारण से निरस्त किया जा सकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीयन के निरस्तीकरण के पश्चात दुरुपयोग को रोकने के लिये व्यवसायी को जारी किये गये घोषणापत्र वापस किये जाते हैं, कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है। तीन वृत्त कार्यालयों²⁴ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान 18 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों में हमने पाया कि पंजीयन प्रमाण—पत्र निरस्त होने पर व्यवसाइयों को जारी घोषणापत्रों को न तो वापस किया गया और न ही उनके द्वारा लेखा प्रस्तुत किया गया। आगे हमने पाया कि पंजीयन प्रमाण पत्रों के निरस्तीकरण के बाद भी इन 11

व्यवसाइयों के पास 181 'सी' एवं 'एफ' प्रपत्र बने रहे। हम इन प्रपत्रों का दुरुपयोग किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं कर सकते हैं।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2011) में विभाग ने प्रेक्षण को स्वीकार किया।

²⁴ इन्दौर (2) एवं उज्जैन।

2.10.8 टिनएक्सिस पर डाटा अपलोडिंग में कमियां

टिनएक्सिस व्यवसाइयों तथा अन्य राज्य वाणिज्यिक कर विभागों द्वारा जारी तथा व्यवसाइयों द्वारा रियायतों हेतु उनके दावे के समर्थन में उनको प्रस्तुत किये गये केन्द्रीय सांविधिक प्रपत्रों को सत्यापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह अन्तर्राज्यीय व्यापारिक गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिये प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा अन्य व्यापारिक गुप्त सूचनायें भी उपलब्ध कराता है। विभाग द्वारा टिन एक्सिस में संबंधित डाटा अपलोड किया जाना अपेक्षित था।

13 क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालयों²⁵ और 13 वृत्त कार्यालयों²⁶ की नमूना जाँच के दौरान (अक्टूबर 2010 और जनवरी 2011 के मध्य) हमने अवलोकित किया कि टिनएक्सिस से हमारे द्वारा 796 घोषणापत्रों में से केवल 146 सत्यापित किये जा सके। इसी प्रकार हमारे द्वारा नमूना जाँच किये गये 534 व्यवसाइयों में से 195

बेबसाइट से सत्यापित नहीं किये जा सके। इसके अतिरिक्त, 104 प्रकरणों में या तो टिन नम्बर की प्रविष्टि नहीं थी या पुराने सी.एस.टी. नम्बर दर्शाये गये थे। आगे, टिनएक्सिस से नमूना जाँच के दौरान हमने अवलोकित किया कि तीन क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालयों²⁷ और दो वृत्त कार्यालयों²⁸ के पाँच व्यवसाइयों के प्रकरण में, यद्यपि व्यवसाई अभी भी सक्रिय था, फिर भी वेबसाइट पर या तो विक्रेता/क्रेता व्यवसाई का नाम भिन्न था या उनका पंजीयन निरस्त दर्शाया गया था।

वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत टिनएक्सिस में 'सी' प्रपत्र में उल्लिखित राशि की प्रविष्टि दर्शाये जाने की सुविधा नहीं है। हमने टिनएक्सिस मे वर्ष 2006 से 2010 के म.प्र. राज्य के डाटा उपलब्धता के प्रतिवेदन का परीक्षण किया और पाया कि यद्यपि इन वर्षों में व्यवसायी के मुख्य अभिलेखों के डाटा सी फार्म एवं एफ फार्म बढ़ रहे हैं फिर भी पिछले चार वर्षों के लिए सी एवं एफ फार्मों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की संख्या रिस्थिर रही है। उपरोक्त स्थिति लाभदायी परिणाम के लिए टिनएक्सिस में डाटा को अपलोड किये जाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने बताया (अगस्त 2011) कि विभाग में एक प्रभावी प्रणाली तथा अधोसंरचना विद्यमान है तथा डाटा टिनएक्सिस में अपलोड किया जा रहा है। बाद में यह

²⁵ क्षेत्रीय सहायक आयुक्त— छिन्दवाड़ा (2), देवास, गुना, इन्दौर (2), इटारसी, खण्डवा (2), मुरैना, रतलाम, सागर और सेंधवा।

²⁶ वाणिज्यिक कर अधिकारी— बैतूल, भोपाल (2), होशंगाबाद, इन्दौर (4), इटारसी, जबलपुर, रीवा, सतना और उज्जैन।

²⁷ क्षेत्रीय सहायक आयुक्त— छिन्दवाड़ा, सेंधवा एवं भोपाल।

²⁸ वाणिज्यिक कर अधिकारी— इन्दौर (2)।

बताया गया कि प्रणाली के द्वारा 'सी' फार्म प्रपत्र जारी करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा निकट भविष्य में मुद्रित 'सी' प्रपत्र जारी किये जायेंगे।

अनुपालन संबंधी कमियाँ

2.10.9 अपूर्ण घोषणापत्रों पर रियायत की अनियमित स्वीकृति

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, अन्तर्राज्यीय विक्रय के प्रकरण में छूट उस पंजीयत व्यवसायी, जिसको माल विक्रय किया गया है, के द्वारा नियत प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में सम्यक रूप से आवश्यक विवरण भरकर एवं हस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर व्यवसायी को प्रदान की जायेगी। धारा 6ए के अनुसार विक्रय को छोड़कर अन्य प्रकार से दावा किये गये वस्तुओं के स्थानान्तरण के प्रकरण में स्थानान्तरण सम्बन्धी छूट का दावा उस व्यवसायी जिसको माल स्थानान्तरित किया गया है, के द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए तथा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रमाण—पत्र एवं साथ ही उस वस्तु के जावक सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर व्यवसायी को छूट प्रदान की जायेगी अन्यथा इसे विक्रय माना जायेगा। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने भी सभी निर्धारण प्राधिकारियों को परिपत्र दिनांक 01.01.2005 द्वारा अपूर्ण घोषणापत्रों को स्वीकार न करने तथा कर निर्धारण के पूर्व सभी घोषणापत्रों का परीक्षण करने के संबंध में अनुदेश जारी किये थे। ये अनुदेश 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में इसी विषय पर प्रकाशित एक लेखापरीक्षा समीक्षा के अनुसरण में जारी किये गये थे।

13 क्षेत्रीय कार्यालयों²⁹ तथा 13 वृत्त कार्यालयों³⁰ के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने अवलोकित किया (अक्टूबर 2010 और जनवरी 2011 के मध्य) कि नमूना परीक्षित किये गये 711 व्यवसाईयों में से 150 व्यापारियों से संबंधित 796 घोषणापत्रों में विभिन्न कमियाँ जैसे—क्रय आदेश, वस्तु का नाम, उद्देश्य, टिन, रेलवे प्राप्ति संख्या/ट्रक प्राप्ति संख्या आदि का उल्लेख न होने/आंशिक रूप से उल्लेख होने के कारण, अपूर्ण पाये गये। हमने देखा कि इन अपूर्ण घोषणापत्रों पर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा राशि ₹ 7.29 करोड़ की छूट दी गई थी।

अक्टूबर 2010 और जनवरी 2011 के मध्य हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, तीन

²⁹ छिन्दवाड़ा (2), देवास, गुना, इन्दौर (2), इटारसी, खण्डवा (2), मुरैना, रतलाम, सागर एवं सेन्धवा।

³⁰ बैतूल, भोपाल (2), होशंगाबाद, इन्दौर (4), इटारसी, जबलपुर, रीवा, सतना एवं उज्जैन।

कर निर्धारण प्राधिकारियों³¹ ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि आवश्यक अनुपालन किया जायेगा। चार कर निर्धारण प्राधिकारियों³² ने बताया कि कार्रवाई की जायेगी जबकि सहायक आयुक्त, मुरैना ने बताया कि सही फार्मों को स्वीकार किया गया था फिर भी जहाँ कमियों पाई गई थीं, उनका समाधान किया जायेगा। सहायक आयुक्त, सेंधवा ने बताया कि आवश्यक अनुपालन किया जा रहा है। सहायक आयुक्त, इन्दौर ने बताया कि घोषणापत्रों का बिलों से सत्यापन किया गया है। हमें उत्तर स्वीकार नहीं है, क्योंकि छूट प्रदान करते समय घोषणापत्रों को सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। सहायक आयुक्त, देवास ने बताया कि सी प्रपत्र निरस्त किये जाने योग्य नहीं थे। हमें उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि आयुक्त के अनुदेशों के अनुसार, अपूर्ण घोषणापत्र स्वीकार नहीं किये जाने थे। शेष 15 कर निर्धारण प्राधिकारियों के उत्तर प्रतीक्षित हैं।

³¹ सहायक आयुक्त भोपाल, गुना और वाणिज्यिक कर अधिकारी उज्जैन।

³² छिन्दवाड़ा, खण्डवा(2), और वाणिज्यिक कर अधिकारी इन्दौर।

2.10.10 छूट/रियायत की अनियमित स्वीकृति

2.10.10.1 जाली घोषणापत्रों पर रियायत की अनियमित स्वीकृति

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रपत्र 'सी' में निर्धारित घोषणापत्र द्वारा असमर्थित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) के अंतर्राज्यीय विक्रय पर कर 10 प्रतिशत की दर से या राज्य में लागू दर से, जो भी अधिक हो, आरोपित किया जायेगा। तथापि, 1 अप्रैल 2007 से इस प्रावधान को संशोधित किया गया था तथा संशोधित प्रावधान के अनुसार, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं पर उन परिस्थितियों में राज्य में लागू कर की दर से कर आरोपित किया जायेगा, यदि कोई पंजीयत व्यवसायी प्रमाण पत्र में उल्लिखित किन्हीं वस्तुओं को क्रय करते समय गलत तथ्य दर्शाता है तथा अपने पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लिखित उद्देश्य से इतर ऐसी वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसे अभियोजित किया जा सकता है। तथापि, पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, यह मानकर कि लेन देन निर्धारित घोषणापत्रों से समर्थित नहीं है, अभियोजन के बदले में, आरोपणीय कर के डेढ़ गुने से अनधिक राशि की शास्ति आरोपित कर सकता है।

दो क्षेत्रीय कार्यालयों³³ तथा बैतूल स्थित एक वृत्त कार्यालय में, हमने अवलोकित किया कि तीन व्यवसाइयों ने अगस्त 2009 और अक्टूबर 2009 के मध्य की अवधि के दौरान प्रपत्र 'सी' में पाँच घोषणापत्रों के आधार पर ₹ 4.28 लाख की रियायत का लाभ लिया था/की अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन प्रति-सत्यापन करने पर हमने अवलोकित किया कि ये घोषणापत्र उन दो राज्यों³⁴ से संबंधित वृत्तों से जारी नहीं किये गये थे जहाँ से उन्हें जारी किया जाना बताया गया था। यह स्पष्ट था कि व्यवसाइयों ने जाली घोषणापत्रों के आधार पर छूट का दावा किया था/छूट की अनुमति प्रदान की गई थी।

जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.71 लाख के कर का कम आरोपण हुआ। इसके साथ ही ₹ 2.57 लाख की अधिकतम शास्ति भी आरोपणीय थी।

³³ इंदौर तथा छिंदवाड़ा।

³⁴ छत्तीसगढ़ एवं दिल्ली।

2.10.10.2 घोषणापत्रों का गलत उपयोग

एक क्षेत्रीय कार्यालय देवास तथा एक वृत्त कार्यालय इन्दौर में, हमने अवलोकित किया कि दो व्यवसाइयों को 'सी' एवं 'एफ' प्रपत्र में दो घोषणापत्रों के आधार पर ₹ 40,495 की रियायत/छूट प्रदान की गई थी (जनवरी तथा दिसम्बर 2009)। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्रेता व्यवसाइयों से प्रति–सत्यापन करने पर हमने अवलोकित किया कि ये प्रपत्र, उन व्यवसाइयों को छोड़कर, जिन्होंने प्रपत्रों का उपयोग माल को क्रय करने के लिए किया था, अन्य व्यापारियों को जारी किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40,495 के कर की रियायत/छूट की अनियमित स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ₹ 13,920 की अधिकतम शास्ति भी आरोपणीय थी।

2.10.10.3 घोषणापत्रों के ऑकड़ों में भिन्नता के कारण छूट की अनियमित स्वीकृति

छिंदवाड़ा के एक क्षेत्रीय कार्यालय तथा तीन वृत्त कार्यालयों³⁵ में हमने अवलोकित किया कि चार व्यवसाइयों ने जनवरी 2010 तथा सितम्बर 2010 के मध्य की अवधि के दौरान प्रपत्र 'सी' में चार घोषणापत्रों के आधार पर ₹ 3.65 लाख की छूट का लाभ लिया था/प्रदान किया गया था। दो प्रकरणों में, विक्रेता व्यवसाइयों ने अपने राज्य (उत्तर प्रदेश) में उनके द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार ₹ 4.27 लाख के क्रय के विरुद्ध अपना विक्रय ₹ 34.44 लाख दर्शाया था। अन्य दो प्रकरणों में, विक्रेता व्यवसाइयों ने अपने राज्य (उत्तर प्रदेश) में उनके द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार ₹ 56.30 लाख के क्रय के विरुद्ध अपना विक्रय ₹ 24.25 लाख दर्शाया था। इस प्रकार विक्रय/क्रय के ₹ 58.69 लाख (विक्रय) तथा ₹ 60.57 लाख (क्रय) तक छिपाये जाने की संभावना है जिसकी विभाग द्वारा जाँच किये जाने की आवश्यकता है।

³⁵

उज्जैन, गुना तथा खरगौन।

2.10.11 घोषणापत्रों के बिना/दोषपूर्ण घोषणापत्रों से समर्थित विक्रय पर कर का अनारोपण/कम आरोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत, किसी व्यवसाई को रियायती विक्रय/छूट की अनुमति उस क्रेता व्यवसाई द्वारा, जिसे माल क्रय किया गया है, नियत प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में सम्यक रूप से भरे गये एवं हस्ताक्षरित घोषणापत्र प्रस्तुत किये जाने पर दी जायेगी। इसी प्रकार केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6क के अंतर्गत किसी व्यवसाई को, जो किसी अन्य व्यवसाई को माल स्थानान्तरित करता है जिसे माल स्थानान्तरित किया जा चुका है, नियत प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करने पर छूट प्रदान की जायेगी। केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियम 1957 के नियम 12 में मूल घोषणापत्रों को प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।

2.10.11.1 एक संभागीय कार्यालय सागर, चौदह क्षेत्रीय कार्यालयों³⁶ और पाँच वृत्त कार्यालयों³⁷ के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया (अगस्त 2009 एवं अप्रैल 2011 के मध्य) कि अवधि 2002–03, 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 के लिए अगस्त 2008 एवं जुलाई 2010 के मध्य कर निर्धारित 20 व्यवसाइयों के 20 प्रकरणों में

घोषणापत्रों के प्रस्तुत किये बिना अथवा उनकी द्वितीय प्रति पर कर की रियायती दर की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.36 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर (अगस्त 2009 एवं अप्रैल 2011 के मध्य) कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि 13 प्रकरणों में कार्रवाई की जायेगी जबकि अन्य प्रकरणों में उनके उत्तर निम्नानुसार हैं :

क्र. स.	लेखा परीक्षित इकाई का नाम व्यवसाईयों की संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	प्रस्तुत का नाम टर्न ओवर (₹ लाख में)	लागू कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कर के अनारोपण/कम आरोपण की राशि (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, इन्दौर <u>(श्री सुनील मिश्र)</u> 1	2006–07 जनवरी 2010	औद्योगिक वाल्व 170.59	12.5	3	15.57

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने कोई प्रासंगिक उत्तर नहीं दिया।

³⁶ इन्दौर (08), खण्डवा, मुरैना, सेन्धवा (2), जबलपुर एवं ग्वालियर।

³⁷ ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर(2) एवं नीमच।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, खण्डवा <u>(श्री आर.के.सोनी)</u> , 1	<u>2006–07</u> दिसम्बर 08	कॉटन 72.20	8	4	2.89
	बिना 'सी' फार्म के कॉटन की बिक्री पर कर में रियायत दी गई थी। इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया कि विक्रय बिलों एवं अन्य अभिलेखों का सत्यापन करने के बाद कर निर्धारण किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि 'सी' फार्मों को प्रकरण फाइल में नहीं पाया गया।					
3.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, इन्दौर <u>(डॉ. गोपाल पोखारात)</u> , 1	<u>2006–07</u> सितम्बर 08	टाइल्स <u>बाथ फिटिंग</u> 4.80	12.5	0	0.60
	इस प्रकरण में राज्य के बाहर से ₹ 4.80 लाख मूल्य के माल की क्रय वापसी की गई थी तथापि 'एफ' फार्म संलग्न नहीं पाया गया। तथापि, साक्ष्य के अभाव में 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। कर निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा के कथन को स्वीकार न करते हुए बताया कि 'एफ' फार्म क्रय वापसी पर आवश्यक नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है एवं एफ फार्मों के अभाव में ₹ 4.80 लाख मूल्य के कथित माल को विक्रय मानकर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाना चाहिये।					
4.	वाणिज्यिक कर <u>अधिकारी-12, इन्दौर</u> , 1	<u>2007–08</u> मार्च 2010	लोहा एवं स्टील 14.00	4	3	0.14
	‘सी’ फार्म की द्वितीय प्रति पर छूट दी गई थी। इसे इंगित किये जाने पर (मार्च, 2011) कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि कार्यालय में मूल प्रति प्रस्तुत की गई थी एवं फाइल में द्वितीय प्रति थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर की रियायती दर के दावे के लिए 'सी' फार्म की मूल प्रति आवश्यक है।					
5.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, <u>मुरैना</u> , 1	<u>2007–08</u> अप्रैल 2009	पुराने वाहन एवं मशीनरी 15.45	12.5	3	1.47
	बिना 'सी' फार्म के बिक्री पर कर आरोपित किया गया। यह इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि कम आरोपण का परीक्षण किया जा रहा है एवं स्क्रेप पर कर चार प्रतिशत है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पुराने वाहन एवं मशीनरी पर कर की दर 12.5 प्रतिशत है।					
6.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, जबलपुर <u>(श्री पी.के.सिंह)</u> , 1	<u>2007–08</u> मार्च 2010	रेडीमेड गारमेन्ट्स 163.46	4	0	6.54
	इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2010) कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षण का खण्डन कर बताया गया कि स्टॉक ट्रांसफर किये माल का मूल्य जो 'एफ' फार्म समर्थित नहीं है, उस पर पूर्व वर्ष में कर आरोपित किया गया था। उत्तर लेखापरीक्षा प्रेक्षण से सम्बन्धित नहीं है। हमारी आपत्ति चालू वर्ष के टर्न ओवर में से पूर्व वर्ष में स्थानान्तरित किये गये माल के स्टॉक के कारण कटौती की गलत अनुमति से संबंधित है।					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, च्यालियर, 1	2002–03 मार्च 2009	खाद्य तेल 130.62	10	0	13.06

कर प्रदत्त खाद्य तेल के अन्तरराज्यीय विक्रय जो कि 'सी' प्रपत्र द्वारा समर्थित नहीं था, पर कर आरोपित नहीं किया गया था। यह इंगित किये जाने पर (जून 2010) कर निर्धारण प्राधिकारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना³⁸ का हवाला देते हुए बताया कि कर प्रदत्त मालों के विक्रय के प्रकरणों में 'सी' फार्म को प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। कर निर्धारण प्राधिकारी का तर्क सही नहीं है क्योंकि कथित अधिसूचना केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन थी।

केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीयन एवं टर्नओवर), 1957 के नियम 12 के अनुसार यह व्यवस्था प्रदान की गई है कि एक घोषणापत्र में 'सी' फार्म में दो व्यवसाईयों के मध्य वित्तीय वर्ष के एक तिमाही में होने वाली बिक्री के समस्त लेन-देन शामिल होते हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने भी (परिपत्र क्र. 7–04–लेखापरीक्षा–5–7 दिनांक 01–01–2005) सभी कर निर्धारण प्राधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपूर्ण घोषणापत्रों को स्वीकार नहीं किया जाये एवं कर निर्धारण के पूर्व सभी घोषणापत्रों का परीक्षण किया जाये।

अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात् (फरवरी 2010 और मई 2011 के मध्य) कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि तीन प्रकरणों में सत्यापन के पश्चात् कार्रवाई की जायेगी। एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया गया कि सी प्रपत्र में एक तिमाही का लेनदेन शामिल रहता है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि हमने पाया कि सी प्रपत्र में एक तिमाही से अधिक के लेनदेन शामिल थे।

2.10.11.2 चार वृत्त कार्यालयों³⁹ के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान हमने पाया (फरवरी 2010 और मई 2011 के मध्य) कि अवधि 2006–07 एवं 2007–08 के लिए अक्टूबर 2008 और दिसम्बर 2009 के मध्य निर्धारित छः व्यवसाईयों के छः प्रकरणों में (एक प्रकरण में घोषणापत्रों में संशोधन हेतु शोधन तरल लगाया गया था एवं शेष प्रकरणों में वित्तीय वर्ष के एक तिमाही से अधिक तिमाहियों के लेन-देनों को सी फार्म में शामिल किया गया था।) त्रुटिपूर्ण घोषणापत्रों पर ₹ एक करोड़ की छूट प्रदान की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ एक करोड़ के कर का

³⁸ अधिसूचना क्र. 24 दिनांक 31 मार्च 2003।

³⁹ बालाघाट, इन्दौर, मन्दसौर और नीमच।

2.10.12 कर की गलत दर लागू किये जाने के कारण कर का कम आरोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, प्रत्येक व्यवसायी जो अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में एक अन्य पंजीयत व्यवसायी को माल बेचता है, ऐसे टर्नओवर के चार प्रतिशत की रियायती दर से (01.04.2007 से तीन प्रतिशत तथा 01.06.2008 से दो प्रतिशत) कर के भुगतान का दायी होगा यदि ऐसा विक्रय प्रपत्र 'सी' में घोषणापत्रों से समर्थित है। यथा संशोधित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 6(अ) के अन्तर्गत, किसी पंजीयत व्यवसायी द्वारा राज्य के बाहर अपने व्यवसाय के किसी अन्य स्थान को या अन्य राज्य में उसके अभिकर्ता या मूल व्यक्ति को माल का स्थानान्तरण, जो विक्रय के कारण न हो, माल के प्रेषण के साक्ष्य सहित, व्यवसाय के अन्य स्थान के प्रधान अधिकारी या उसके अभिकर्ता या प्रमुख व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सम्यक रूप से भरे गये एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र 'एफ' में घोषणापत्र प्रस्तुत करने पर कर से मुक्त है।

अगस्त 2007 एवं अप्रैल 2011 के मध्य सात क्षेत्रीय कार्यालयों⁴⁰ एवं तीन वृत्त कार्यालयों⁴¹ के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि अवधि 2000–01, 2003–04, 2006–07 व 2007–08 के लिए जुलाई 2006 एवं मार्च 2010 के मध्य निर्धारित 11 व्यवसाईयों के 12 प्रकरणों में कर की गलत दर लागू किये जाने के कारण ₹ 47.37 लाख का कर कम आरोपित किया गया।

हमारे द्वारा यह इंगित किये जाने पर (अगस्त 2007 एवं अप्रैल 2011) कर निर्धारण प्राधिकारियों ने नौ प्रकरणों में बताया कि प्रकरणों में सत्यापन उपरांत कार्रवाई की जायेगी एवं अन्य प्रकरणों में उनके उत्तर निम्नलिखित हैं :

⁴⁰ सतना, शाजापुर, भोपाल (2) एवं इन्दौर (3)।

⁴¹ इन्दौर, सागर एवं नीमच।

क्र. स.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसाईयों की संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम टर्न ओवर (₹ लाख में)	लागू कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कर के कम आरोपण की राशि (₹ लाख में)
1.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-9, इन्डौर, 2	2007–08 दिसम्बर 09	रेलवे सिंगल 49.69 24.61	12.5 12.5	4 (स्थानीय दर) 4 (केन्द्रीय दर)	3.89 1.93
प्रांतीय विक्रय पर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया एवं बिना 'सी' फार्म विक्रय पर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। यह इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि एम.एस.शीट का विक्रय अन्तर्राज्यीय बिक्री में किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट में समर्त कच्चे माल का उपयोग किया जाना दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त अभिलेखों से व्यवसाई द्वारा रेलवे सिंगल का निर्माण किये जाने के साक्ष्य प्रमाणित होते हैं।						
2.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, शाजापुर, 1	2006–07 जुलाई 2006	धनियां 4.25	10	4	0.25
धनियां की अन्तर्राज्यीय बिक्री, जो कि 'सी' प्रपत्र समर्थित नहीं है, पर गलत दर से कर आरोपित किया गया था। हमारे द्वारा यह इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया कि ₹ 25,000 की मौँग जारी की गई थी (दिसम्बर 2009)।						

2.10.13 निष्कर्ष

यह सुनिश्चित करने के लिये कि व्यवसाईयों का पंजीयन निरस्त होने के बाद घोषणापत्रों को वापिस किया जाता है, कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है। हमने पाया कि टिनएक्सिस का लाभ उठाने के लिये विभाग द्वारा इस पर डाटा की नियमित अपलोडिंग नहीं की गई है। हमने यह भी अवलोकित किया कि घोषणापत्रों में कमियाँ होने के फलस्वरूप कर राहत के लिए अपात्र होने के बावजूद भी कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसाइयों को छूट प्रदान की जाती रही है। इसके अतिरिक्त, जाली एवं अपूर्ण जानकारी वाले प्रपत्रों पर रियायत प्रदान किये जाने के कारण सारभूत राजस्व की हानि हुई।

2.10.14 अनुशंसाएं

सरकार निम्नलिखित अनुशंसाओं को लागू करने के संबंध में विचार कर सकती है—

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिये कि व्यवसाइयों के पंजीयन निरस्तीकरण के उपरांत घोषणापत्रों का दुरुपयोग न किया जा सके, उनको वापस लिया जाना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करना;
- (ii) टिनएक्सिस में समर्त आवश्यक डाटा नियमित रूप अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जाना; और
- (iii) यह सुनिश्चित करना कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अपूर्ण घोषणापत्रों को स्वीकार नहीं किया जाता है।

2.11 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

नौ क्षेत्रीय कार्यालय⁴² तथा 15 वृत्त⁴³ कार्यालय

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन जारी नियमों और अधिसूचनाओं के अन्तर्गत, खपत, उपयोग अथवा विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले माल (वस्तुओं) पर निर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

हमने मई 2007 तथा सितम्बर 2010 के मध्य अवलोकित किया कि 2002–03 से 2008–09 तक की अवधियों हेतु जनवरी 2007 तथा दिसम्बर 2009 के मध्य कर निर्धारित/पुनर्निर्धारित 33 व्यवसाइयों के 38 प्रकरणों में, ₹ 193.14 करोड़ मूल्य के लोहा एवं इस्पात, प्लांट एवं मशीनरी, मोटरवाहनों, पेपर, हाई स्पीड डीजल, कोयला, फरनेस ऑयल इत्यादि वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया अथवा गलत दर से आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.86 लाख के ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 1.97 करोड़ के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने तीन व्यवसाइयों के पाँच प्रकरणों में ₹ 6.07 लाख की अतिरिक्त माँग (नवम्बर 2009 एवं दिसम्बर 2010 के मध्य) सृजित की, 23 व्यवसाइयों के 26 प्रकरणों में बताया (मई 2007 एवं सितम्बर 2010 के मध्य) कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जायेगी तथा दो व्यवसाइयों के दो प्रकरणों में कोई प्रासंगिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। शेष पाँच व्यवसाइयों के प्रकरणों में, विभागीय उत्तर एवं उन पर हमारी टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसाइयों की संख्या	वस्तु का नाम	अंतर्निहित राशि (₹ लाख में)	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	क्षे.स.आ., <u>ग्वालियर</u> 1	रेलवे स्लीपर	11.74	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसायी का कारबाना रेलवे की भूमि पर स्थित था जो कि स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता।	हमने उत्तर को न्यायिक निर्णयों ⁴⁴ के अनुरूप नहीं पाया जिनमें यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे साइडिंग तथा रेलवे लाइन स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

⁴² भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर (4), सतना एवं उज्जैन।

⁴³ भोपाल (2), दतिया, देवास, ग्वालियर (2), इंदौर (4), जबलपुर, राजगढ़, सिवनी, शिवपुरी एवं टीकमगढ़।

⁴⁴ (i) मैसर्स लार्सैन तथा टुब्रो लि. बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर (2002) 35 वी के एन 50 (म०प्र० बोर्ड)।

(ii) मैसर्स सिमिकल इंजीनियरिंग कं. बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर (2004) 4 एस टी जे 519 (म०प्र० बोर्ड)।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	क्षे.स.आ., वृत्त-III, <u>चालियर</u> 1	बीड़ी तेन्दुपत्ता	एवं 6.15	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि बीड़ी का अधिकांश आयात क्रय अंतर्राज्यीय विक्रय में उपयोग किया गया था जिस पर प्रवेश कर ¹ आरोपणीय नहीं है एवं तेन्दुपत्ता का संपूर्ण क्रय आयात क्रय नहीं था।	कर निर्धारण प्राधिकारी का तर्क तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि कोई ऐसा दस्तावेज या अभिलेख नहीं था जो यह प्रमाणित करता कि आयातित बीड़ी का अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए उपयोग हुआ। आगे, तेन्दुपत्ता के प्रकरण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने स्वयं ही इसे कर योग्य माना है न कि कर चुका हुआ। तथापि, उहोंने दो प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत की दर से गलत ढंग से कर आरोपित किया।
3.	क्षे.स.आ., संभाग-I, <u>भोपाल</u> 1	लोहा एवं इस्पात	1.43	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि टिन ईटे एवं टिन मिश्रधातु के.वि.क. अधिनियम (योषित वस्तुएं) की धारा 14 (iv) के अंतर्गत नहीं आती है।	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि टिन मिश्र धातु एवं ईटे के.वि.क.अधिनियम की धारा 14(iv) के अंतर्गत आती है।
5.	वा.क.अ., सिवनी, 1	प्लांट मशीनरी	एवं 0.47	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि उस अवधि में मशीनरी पर प्रवेश कर आरोपणीय नहीं था।	उत्तर प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची II में प्रविष्ट क्र. 54 के प्रावधानों के विपरीत है।
6.	वा.क.अ., सिवनी 1	ट्रैक्टर	0.21	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत 01 अप्रैल 2006 से ट्रैक्टरों पर प्रवेश कर आरोपणीय नहीं था।	उत्तर वर्ष 2006–07 के दौरान प्रचलित प्रावधानों के विपरीत है। वर्ष 2006–07 के दौरान ट्रैक्टरों पर प्रवेश कर आरोपणीय था।

हमने प्रकरणों को आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को दिसम्बर 2010 तथा मई 2011
के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012)।

2.12 कर की गलत दर लागू किया जाना

दो क्षेत्रीय कार्यालय⁴⁵ एवं 17 वृत्त कार्यालय⁴⁶

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम (अधिनियम) एवं म.प्र. वैट अधिनियम, सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं में विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर तथा वैट की दरों को निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम एवं वैट एकट के अंतर्गत यदि एक व्यवसायी आवधिक विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह ब्याज का दायी होगा। अधिनियम में पुनः कर निर्धारण का भी प्रावधान है और यदि व्यवसाई के द्वारा हुई किसी चूक के कारण ऐसा पुनर्निर्धारण किया गया है तो वह इस प्रकार पुनर्निर्धारित कर की राशि से अनधिक शास्ति के भुगतान का दायी होगा।

हमने जून 2007 तथा अक्टूबर 2010 के मध्य अवलोकित किया कि अवधि 2002–2003 से 2007–08 हेतु दिसम्बर 2005 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य कर निर्धारित 32 व्यवसाइयों के 34 प्रकरणों में ₹ 17.22 करोड़ के विक्रय टर्न ओवर पर गलत दरों से कर आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.24 लाख के ब्याज/शास्ति सहित ₹ 1.52 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। कुछ उदाहरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/प्रकरणों की संख्या	कर निर्धारण अवधि कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम	टर्न ओवर (₹ करोड़ में)	लागू कर की दर (प्रतिशत)	लागू की गई कर की दर (प्रतिशत)	कर के कम आरोपण की राशि (₹ लाख में)
1.	वा.क.अ., बुत्त-V, भोपाल 1	2006–07 अप्रैल 2009	उजाला सुप्रीम (सफेदी कारक द्रव)	4.22	12.5	4	36.00
2.	वा.क.अ., बुत्त-II इंदौर 2	2007–08 (1) अक्टूबर 2009 (2) नवम्बर 2009	बैनर्स	1.01 0.96	12.5 12.5	4 4	21.00 (ब्याज सहित)
3.	क्षे.स.आ.—प्रभारी वा.क.अ., बुत्त-I जबलपुर 1	2006–07 जून 2009	केरोसिन (सावर्जनिक वितरण प्रणाली को छोड़कर अन्यथा विक्रय किया गया)	1.60	12.5	4	14.00

⁴⁵ इन्दौर तथा नीमच।

⁴⁶ भोपाल (04), छिंदवाड़ा, देवास, इन्दौर (06), जबलपुर, राजगढ़, रतलाम, शिवपुरी तथा टीकमगढ़।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने सात व्यवसाइयों के प्रकरण में ₹ 6.52 लाख की मांग (दिसम्बर 2008 से मार्च 2011 के मध्य) सृजित की। दो व्यवसाइयों के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2008 तथा अप्रैल 2010 के मध्य) तथा 14 व्यवसाइयों के 15 प्रकरणों में यह बताया गया (मार्च 2009 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। नौ व्यवसाइयों के शेष 10 प्रकरणों में, विभागीय उत्तर एवं उन पर हमारी टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं :—

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यवसाइयों की संख्या	अंतर्निहित राशि (₹ लाख में)	वस्तु	विभागीय उत्तर	हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वा.क.अ., वृत्त-I, <u>रुतलाम</u> 1 (दो प्रकरण)	0.83	इनवर्टर	व्यवसाई ने यू.पी.एस. का विक्रय किया।	उत्तर व्यवसाई की क्रय सूची तथा व्यापार व्यवसाय लेखा में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत है जिसमें स्पष्ट रूप से इनवर्टरों का क्रय एवं विक्रय दर्शाया गया है।
2.	वा.क.अ., वृत्त-VI, <u>इंदौर</u> 1	11.80	विज्ञापन सामग्री जैसे फ्लैक्स बोर्ड, फ्लैक्स बैनर	व्यवसाई फिल्मों की प्रोसेसिंग फ्लैक्स प्रिंटिंग तथा विनायल प्रिंटिंग का व्यवसाय कर रहा था, न कि विज्ञापन सामग्री का।	उत्तर अभिलेख जैसे विक्रय बीजकों में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत है जिससे फ्लैक्स बोर्ड, फ्लैक्स बैनर जैसी विज्ञापन सामग्री के विक्रय की पुष्टि हुई।
3.	वा.क.अ., वृत्त-XV, <u>इंदौर</u> 3	9.72	लीफ स्प्रिंग	कर न्यायिक निर्णय के अनुसार आरोपित किया गया है जिसके अनुसार लीफ स्प्रिंग लोहा और स्टील है।	आयुक्त, वाणिज्यिक कर के निर्णय ⁴⁷ के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर मान्य नहीं है जिसके अनुसार लीफ स्प्रिंग पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है।
4.	वा.क.अ., <u>वृत्त-V, भोपाल</u> 1	8.51	हाइड्रोलिक रैम मशीन	विक्रय पावर जेनरेटिंग मशीन से संबंधित है तथा कर सही दर से आरोपित किया गया था।	उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि हाइड्रोलिक रैम मशीन स्थानीय विक्रय विवरण अनुसूची में स्पष्ट रूप से अभिलेखित है। इसके अतिरिक्त, हाइड्रोलिक रैम एक मशीन है जिसका उपयोग पानी सीधे न किया जाता है, न कि विजली उत्पादन के लिए।

⁴⁷

[2007] 11 एस.टी.जे. 64 (आ.वा.क., म0प्र0)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	वा.क.अ., बृत्त-V, भोपाल 1	36.00	उजाला सुप्रीम (सफेदी कारक द्रव)	कर आरोपण सही किया गया तथा एकट की अनुसूची-II की प्रविष्ट क्रमांक 55 (औद्योगिक कास्टिंग) के अनुसार है।	निर्धारण प्राधिकारी के उत्तर में तथ्यों की सही व्याख्या नहीं की गई क्योंकि प्रविष्ट क्रमांक 55 कैमिकल की है जबकि उजाला सुप्रीम द्रव के रूप में एक पोस्ट-वाश सफेदीकारक है। यह कैमिकल स्ट्रक्चर से भिन्न कैमिकल से अलग ऑप्टिकल सफेदीकारक ऐजेंट है।
6.	वा.क.अ., बृत्त-V, भोपाल 1	2.26	बैनर्स (एल.डी. फोम बैनर्स)	निर्धारण प्राधिकारी ने मात्र यह कहा कि कर आरोपण सही है।	उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है जिसके अनुसार निर्धारिती द्वारा प्राप्त क्रय आदेश एवं निर्धारण आदेश से बैनर्स के विक्रय की पुष्टि होती है जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय था।
7.	वा.क.अ., बृत्त-V, भोपाल 1	1.57	गैस किट	विक्रय गैस सिलेण्डर से संबंधित है तथा सही कर आरोपित किया गया।	उत्तर में तथ्यों की सही व्याख्या नहीं है क्योंकि विक्रित सिलेण्डर गैस किट के कम्पोनेन्ट की तरह उपयोग होते हैं। गैस किट माटरवाहनों में उपयोग होते हैं तथा मोटर वाहन का भाग होते हैं, जिस पर 12.5 प्रतिशत कर देय है।

हमने प्रकरण दिसम्बर 2010 और मई 2011 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म0प्र0 तथा
शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012)।

2.13 अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति

क्षेत्रीय कार्यालय, सतना

अधिसूचना क्र. ए-3-195-2005-1-V(31)
दिनांक 31 मार्च 2006 एवं संशोधित अधिसूचना क्र
(39) दिनांक 14 जून 2006 के प्रावधानों के अनुसार,
यदि निर्मित वस्तु वैट अधिनियम की अनुसूची I या II
में दर्ज हैं तथा राज्य के बाहर स्थानांतरित की जाती
हैं तो व्यवसायी को वस्तु के निर्माण में उपयोग या
खपत की गई वस्तु पर पूर्ण रूप से आगत कर छूट
की पात्रता होगी। कर लाभ की संचयी राशि की
गणना में उस दर पर आगत कर के बराबर राशि
शामिल की जायेगी जिस पर यह इस प्रकार के
लेनदेनों में वसूल की जाती है।

2.13.1 अगस्त 2010 में हमने
अवलोकित किया कि अवधि
2006-07 हेतु जून 2009 में
कर निर्धारित एक व्यवसाई
को राज्य के बाहर
स्थानांतरित माल के कारण
व्यवसाई द्वारा देय आगत कर
छूट के बराबर राशि को कर
लाभ की संचयी राशि
की गणना करते समय
सम्मिलित नहीं करने की
गलत स्वीकृति प्रदान
की गयी थी। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 79.75 लाख के अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति प्रदान की गयी।

कर निर्धारण प्राधिकारी ने कोई प्रासंगिक उत्तर नहीं दिया।

एक संभागीय कार्यालय⁴⁸, दो क्षेत्रीय कार्यालय⁴⁹ और चार वृत्त कार्यालय⁵⁰

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, जहां एक पंजीकृत व्यवसाई अनुसूची II के भाग III में वर्णित वस्तु से भिन्न अनुसूची II की कोई वस्तु अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग या खपत के लिए क्रय करता है और व्यवसाई ने राज्य के भीतर विक्रय को छोड़कर वस्तुओं का अन्यथा निवर्तन किये जाने की स्थिति में उसके द्वारा देय कर में आगत कर छूट का दावा एवं समायोजन किया है, तो वह ऐसी वस्तुओं के क्रय मूल्य का चार प्रतिशत या शुद्ध आगत कर जो भी कम हो, के भुगतान का दायी होगा। अधिनियम में आगे प्रावधान है कि जहां एक पंजीकृत व्यवसाई अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कर मुक्त घोषित की गई वस्तुओं के क्रय के संबंध में निर्माण या प्रोसेसिंग या पैकिंग के लिए/में खपत या उपयोग के लिए आगत कर के भुगतान के पश्चात किसी वस्तु (माल) का क्रय करता है तो उसे ऐसी वस्तु के क्रय मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक ऐसे आगत कर की राशि की आगत कर छूट की पात्रता होगी।

2.13.2 मई 2010
और अक्टूबर 2010 के मध्य हमने अवलोकित किया कि 2006–07 तथा 2007–08 के मध्य के अवधियों हेतु अप्रैल 2009 और फरवरी 2010 के मध्य कर निर्धारित आठ व्यवसाइयों के आठ प्रकरणों में, व्यवसाइयों को, विक्रय को छोड़कर अन्यथा राज्य के बाहर स्थानान्तरित माल पर दावा की गई आगत कर छूट का वापस भुगतान

न करने के कारण ₹ 1.78 लाख के ब्याज सहित ₹ 29.12 लाख की अमान्य आगत कर छूट या कर मुक्त वस्तुओं पर अतिरिक्त आगत कर छूट प्रदान की गई थी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने सात प्रकरणों⁵¹ (₹ 27.78 लाख कर अंतर्निहित) में बताया (मई 2010 तथा अक्टूबर 2010 के मध्य) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी। एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी (उपायुक्त, संभाग-II इंदौर) ने उत्तर दिया (सितम्बर 2010) कि राज्य के भीतर बनाये गये पैकिंग मटेरियल के क्रय पर आगत कर छूट की अनुमति प्रदान की गई है और यह पैकिंग मटेरियल

⁴⁸ इन्दौर।

⁴⁹ सागर तथा उज्जैन।

⁵⁰ इन्दौर (3) तथा ग्वालियर।

⁵¹ क्षे.स.आ., उज्जैन; क्षे.स.आ. प्रभारी वृत्त-III, ग्वालियर (2); क्षे.स.आ. प्रभारी वृत्त-X, इन्दौर; क्षे.स.आ., सागर; वा.क.आ., वृत्त-15, इन्दौर; वा.क.आ., वृत्त-II, इन्दौर।

राज्य में बिक्रित माल के पैकिंग में उपयोग किये गये थे। आयातित पैकिंग मटेरियल का उपयोग ऐसी वस्तुओं की पैकिंग में किया गया है जिनका विक्रय किया गया है।

कर निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भुगतान किये गये तथा आयातित पैकिंग मटेरियल का कोई पृथक लेखा नहीं है और विवरणियों में आगत कर छूट का दावा नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जहां एक पंजीकृत व्यवसाई अधिनियम की अनुसूची II के भाग III से भिन्न भाग II में निर्दिष्ट वस्तुओं का आगत कर के भुगतान कर किसी अन्य पंजीकृत व्यवसाई से क्रय करता है तो उसे ऐसे आगत कर की राशि की आगत कर छूट की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। आगे, मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(6)(vi) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक ए-3-95-05-1-v (28) दिनांक 17 अगस्त 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विनिर्माण में/के लिए या विक्रय हेतु माल के खनन में उपयोग किये जाने वाले मोटर वाहनों को छोड़कर, अन्य वाहनों को आगत कर छूट की पात्रता नहीं है।

2.13.3 हमने जुलाई 2009 से अक्टूबर 2010 की अवधि के दौरान अवलोकित किया कि सितम्बर 2008 और नवम्बर 2009 के मध्य 2006–07 से 2007–08 की अवधि के लिए कर निर्धारित चार व्यवसाइयों को ₹ 41.89 लाख की अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति प्रदान की गई जैसा कि नीचे

उल्लेख किया गया है :

(₹ लाख में)

क्र.स.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कर निर्धारण की अवधि/कर निर्धारण का आदेश का माह	अमान्य आगत कर छूट की राशि	हमारा प्रेक्षण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	क्षे.स.आ.,—सागर 1	2007–08 जुलाई 2009	31.35	कर निर्धारण प्राधिकारी ने रॉक फास्फेट के क्रय पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 14.75 लाख के बजाय 12.5 प्रतिशत की दर से ₹ 46.11 लाख की आगत कर छूट की गलत अनुमति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.35 लाख की आगत कर छूट की गलत स्वीकृति प्रदान की गई।
उत्तर में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2010) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<u>क्षे.स.आ.–खण्डवा</u> 1	<u>2006–07</u> अक्टूबर 2008	5.90	कर निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रकरण का निराकरण करते समय ₹1.23 करोड़ के बजाय ₹ 1.29 करोड़ की आगत कर छूट की गलत ढंग से अनुमति प्रदान की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.90 लाख की अमान्य आगत कर छूट की अनुमति प्रदान की गई ।
	उत्तर में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2010) तथा ₹ 12.47 लाख की शास्ति सहित ₹ 16.62 लाख की माँग सृजित की । ₹ 1.75 लाख (₹ 5.90 – ₹ 4.15) के अंतर का कारण यह है कि प्रकरण निर्धारिती के नये अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्धारित किया गया, क्योंकि निर्धारिती के परिसर में आग लग जाने के कारण पुराना अभिलेख जल कर नष्ट हो गया था ।			
3.	<u>क्षे.स.आ., संभाग-II, भोपाल</u> 1	<u>2006–07</u> सितम्बर 2008	3.98	व्यवसाई ने ₹ 6.16 करोड़ मूल्य का सीमेंट क्रय किया जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से ₹ 76.97 लाख की आगत कर छूट मान्य थी, लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 80.95 लाख की आगत कर छूट की स्वीकृति प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.98 लाख की अधिक आगत कर छूट की अनुमति प्रदान की गई ।
	कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (जुलाई 2009) कि सत्यापन के पश्चात क्रय विलों के आधार पर आगत कर छूट प्रदान की गई थी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रय सूची में उल्लिखित राशि लेखापरीक्षित किये गये लाभ एवं हानि लेखा के ऑकड़ों से मेल नहीं खाती है ।			
4.	<u>क्षे.स.आ.–जबलपुर</u> 1	<u>2007–08</u> नवम्बर 2009	0.66	कर निर्धारण प्राधिकारी ने ट्रक की खरीद पर, जिसका उपयोग वस्तुओं के विनिर्माण में नहीं किया जाना था, ₹ 66,134 की आगत कर छूट की अनुमति प्रदान की ।
	कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (अगस्त 2010) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।			

हमने प्रकरणों को दिसम्बर 2010 तथा मई 2011 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश और शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

2.14 क्रय कर का कम आरोपण

वृत्त-III, ग्वालियर कार्यालय

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यवसाई अपने व्यापार के दौरान ऐसी वस्तुओं का क्रय करता है जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, और यदि ऐसे क्रय के पश्चात वस्तुओं का उपयोग अथवा खपत विक्रय हेतु अन्य वस्तुओं के विनिर्माण या पैकिंग में किया जाता है तो वह अनुसूची III में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर ऐसी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर चार प्रतिशत की रियायती दर या निर्धारित निम्नतर दर पर क्रय कर के भुगतान करने का दायी होगा। हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) अधिनियम की अनुसूची III में निर्दिष्ट है तथा अधिभार सहित ₹ 28.75 प्रतिशत की निर्धारित दर से कर योग्य है।

हमने अक्टूबर 2009 में अवलोकित किया कि अवधि 2005–06 के लिए मार्च 2009 में कर निर्धारित एक व्यवसाई ने ₹ 5.75 करोड़ मूल्य के हाई स्पीड डीजल का क्रय उस पर कर का भुगतान किए बगैर किया तथा उसका उपयोग अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में किया। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर

निर्धारण करते समय, हाई स्पीड डीजल पर 28.75 प्रतिशत की निर्धारित दर के बजाय गलत तरीके से 6.9 प्रतिशत की रियायती दर से क्रय कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 21.85 प्रतिशत की अंतर दर से ₹ 1.26 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2009), कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि अधिसूचना⁵² को ध्यान में रखते हुए रियायती दर से क्रय कर आरोपित किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कथित अधिसूचना अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत जारी की गयी है तथा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत क्रय कर प्रभारित करने के लिए लागू नहीं है।

हमने प्रकरण फरवरी तथा मई 2011 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2012)।

⁵²

क्र.ए-3-8-2001-एस.टी.-V(24) दिनांक 30 मार्च 2001.

2.15 टर्न ओवर का गलत निर्धारण

दस क्षेत्रीय कार्यालय⁵³ और सात वृत्त कार्यालय⁵⁴

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम के धारा 2 एवं म.प्र. वैट अधिनियम के अनुसार, किसी अवधि के टर्नओवर का तात्पर्य व्यवसाई द्वारा उस अवधि में वस्तुओं के किसी विक्रय या आपूर्ति के संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर विक्रय वापसी की राशि को छोड़कर, प्राप्त किये गये या प्राप्त करने योग्य विक्रय मूल्यों के पूर्ण योग से है। कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करने के उद्देश्य से, वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि कर-प्रदत्त वस्तुओं का विक्रय मूल्य तथा कर की राशि को विक्रय मूल्यों के कुल योग में सम्मिलित किया गया है तो उसे टर्नओवर से घटाया जाना चाहिये। अधिनियम के अंतर्गत पैकिंग सामग्री उसी दर से कर योग्य है जो दर उस में पैक की गई वस्तुओं के लिए लागू है।

2.15.1 जुलाई 2008
तथा अक्टूबर 2010 के मध्य हमने अवलोकित किया कि जनवरी 2007 तथा मार्च 2010 के मध्य 2003–04 तथा 2008–09 के मध्य की अवधियों के लिए कर निर्धारित 28 व्यवसाईयों के 28 प्रकरणों में, टर्नओवर व्यवसाईयों के लेखापरीक्षित लेखा पुस्तकों/विक्रय सूची/संबंधित अभिलेख में दर्ज कुल टर्नओवर के विरुद्ध ₹ 3.54 करोड़ कम निर्धारित किया गया। इस प्रकार कुल टर्नओवर ₹ 3.54 करोड़ के

लिए कर निर्धारित नहीं किया गया तथा परिणामस्वरूप ₹ 2.44 लाख की शास्ति सहित ₹ 28.26 लाख के कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने चार व्यवसाईयों के चार प्रकरणों में ₹ 7.40 लाख की मांग सृजित की (दिसम्बर 2010) तथा एक अन्य व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2008)। 21 व्यवसाईयों के 21 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (फरवरी 2009 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य) कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी। जबकि दो व्यवसाईयों के शेष दो प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों का उत्तर तालिका में दिया गया है :

⁵³ भोपाल (2), जबलपुर (2), नीमच, सागर (2), सतना (2) तथा शाजापुर।

⁵⁴ देवास, इन्दौर, जबलपुर, खरगोन, नरसिंहपुर, रीवा तथा शाजापुर।

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	हमारा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर/हमारी टिप्पणी
1.	क्षे.स.आ., संभाग-1, भोपाल	राज्य से बाहर विक्रय किये जाने पर 'एफ' प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण ₹ 3.77 करोड़ के टर्नओवर को अंतर्राज्यीय विक्रय माना जाना था। कर निर्धारण प्राधिकारी ने गलत तरीके से इसे ₹ 3.28 करोड़ निर्धारित किया।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जुलाई 2008) कि विक्रय का निर्धारण व्यय एवं कमीशन की कटौती स्वीकार करने के बाद किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमों के अंतर्गत विक्रय के उपरांत कोई कटौती मान्य नहीं है।
2.	वा.क.अ.—रीवा	लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, वाहन का विक्रय मूल्य टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62,500 के कर की कम वसूली हुई।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2010) कि वाहन व्यवसाई के नाम से पंजीकृत था ना कि फर्म के नाम से और इसलिये इसे टर्नओवर में शामिल नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मूल्य हास फर्म के लेखे से प्रभारित किया जाता है। तदनुसार, टर्नओवर फर्म के लेखाओं में दर्शाया जाना चाहिये था।

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत, अनुसूची I में निर्दिष्ट वस्तुओं अथवा सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं द्वारा कर मुक्त वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के विक्रय पर वाणिज्यिक कर आरोपणीय है। एक न्यायिक निर्णय* के अनुसार, जॉब वर्क की प्रोसेसिंग में खपत की जाने वाली सामग्री का स्थानान्तरण इस प्रकार खपत की गई सामग्री का मानद विक्रय माना गया है एवं तदनुसार यह कर योग्य है।

परिणामस्वरूप ₹ 5.15 लाख के कर का अनारोपण हुआ जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है:

2.15.2 जून 2008 तथा फरवरी 2009 के मध्य दो वृत्त कार्यालयों में हमने अवलोकित किया कि अवधि 2002–03 तथा 2006–06 के लिए जनवरी 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य कर निर्धारित दो व्यवसाईयों के छ: प्रकरणों में ₹ 55.99 लाख तक के योग्य टर्न ओवर को गलत निर्धारण के

* मैसर्स एस पी टूल्स एण्ड प्रोसेसर्स लि. बनाम आ., वा.क., म0प्र0 [(2001) 27 ठी एल डी 323 (म0प्र0 बोर्ड)]।

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	हमारा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर/हमारा टिप्पणी
1.	वा.क.अ.–III जबलपुर	जॉब वर्क में उपयोग के लिए प्रिंटिंग इंक क्रय की गयी। इसे ₹ 17.83 लाख का (तीन वर्ष के व्यापारिक लेखा के आधार पर 15 प्रतिशत लाभ का औसत जोड़ने के बाद आँकिलित किया गया) विक्रय मानकर 9.2 प्रतिशत की दर से कर देया था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (फरवरी 2009) कि जॉब वर्क के प्रकरण में वस्तुओं पर कर देय नहीं है। उत्तर तथ्यों की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि जॉब वर्क की प्रक्रिया के दौरान, उपयोग की गई सामग्री के गुण स्थानांतरित हुए थे। अतः उपयोग की गई सामग्री पर कर देय था।
2.	वा.क.अ., वृत्त–बैतूल	कर निर्धारण प्राधिकारी ने रबड़ साल्यूशन तथा हार्डनर की मूल्य कटौती इस तर्क के साथ स्वीकार की कि ये उपभोग (खपत) योग्य थे तथा इसका गुण रिपेयरिंग कार्य की प्रक्रिया में स्थानांतरित नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.51 लाख के कर की वसूली नहीं हुई।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जून 2008) कि कनवेयर बेल्टों को रिपेयर करने में उपयोग की जाने वाली सामग्री, सॉल्यूशन तथा हार्डनर उपयोग के पश्चात वाष्पीकृत होकर गायब हो जाते हैं तथा अपनी पहचान खो देते हैं। उत्तर तथ्यों की सही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि रिपेयरिंग की प्रक्रिया के दौरान रिपेयरिंग सामग्री, साल्यूशन तथा हार्डनर के गुण स्थानांतरित हो जाते हैं।

दो वृत्त कार्यालय⁵⁵

म0प्र0 वैट अधिनियम की धारा 2 (यू)(VI) तथा म0प्र0 वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 9—ए के प्रावधानों के अनुसार, विक्रय का आशय नगद अथवा आस्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल के रूप में सम्पत्ति के हस्तांतरण से है तथा इसमें नगद, आस्थगित भुगतान या अन्य बहुमूल्य प्रतिफल के लिए किसी माल को किसी उद्देश्य के लिए (चाहे किसी विशिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) पट्टे पर देने सहित उनको उपयोग करने के अधिकार का हस्तान्तरण सम्मिलित है, तथा किसी वस्तु का ऐसा हस्तांतरण, सुपुर्दगी या आपूर्ति को उन वस्तुओं का विक्रय माना जायेगा ।

किराये/पट्टा किराये की प्राप्ति को टर्न ओवर में शामिल नहीं किया । इस प्रकार यह टर्नओवर कर के निर्धारण में नहीं आ सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.84 लाख की शास्ति सहित ₹ 10.16 लाख के कर का कम आरोपण हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक प्रकरण में ₹ 1.84 लाख की शास्ति सहित ₹ 3.68 लाख की माँग सृजित की (दिसम्बर 2009) तथा शेष दो प्रकरणों में बताया (जुलाई 2010) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।

म0प्र0 वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 2 (डब्ल्यू) के प्रावधानों के अनुसार, कर योग्य टर्नओवर का तात्पर्य व्यवसाई के टर्नओवर के उस भाग से है जो उन वस्तुओं के विक्रय मूल्य को टर्नओवर से कटौती के बाद रह जाता है जो व्यवसाई के हाथ में कर प्रदत्त वस्तुओं के रूप में होती हैं ।

प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर निर्धारित करते समय ₹ 87.92 लाख मूल्य के लोहा एवं इस्पात के स्क्रैप के कर—प्रदत्त विक्रय की कटौती स्वीकार की । स्वीकृत कटौती सही नहीं थी

2.15.3 जून 2008 तथा जुलाई 2010 के मध्य वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 2004—05 तथा 2007—08 के मध्य की अवधि के लिए अगस्त 2007 तथा जून 2009 के मध्य कर निर्धारित दो व्यवसाइयों के तीन प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्न ओवर का निर्धारण करते समय ₹ 2.02 करोड़ के कंटेनरों के

2.15.4 अगस्त 2009 में क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि अवधि 2005—06 के लिए मार्च 2009 में निर्धारित एक व्यवसाई के प्रकरण में, कर निर्धारण

⁵⁵ देवास तथा जबलपुर ।

क्योंकि स्क्रैप लोहा एवं इस्पात की रि–रोलिंग प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हुआ था तथा यह कर योग्य था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.52 लाख के कर की वसूली नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अगस्त 2009) कि विनिर्मित वस्तुओं के विक्रय के अलावा व्यवसाई ने कर–प्रदत्त वस्तुओं का व्यापार किया था । उत्तर अभिलेखों में दर्ज तथ्यों के अनुरूप नहीं है जिससे यह पता चला कि व्यवसाई ने ₹ 2.61 करोड़ मूल्य के कर–प्रदत्त स्क्रैप का क्रय किया जिसकी खपत व्यापार के बजाय रि–रोलिंग की प्रक्रिया में की गई एवं जिसपर कर निर्धारण प्राधिकारी ने विनिर्माण प्रक्रिया में इसके उपयोग के आधार पर मुजराई प्रदान की, जैसा कि लेखापरीक्षित व्यापार एवं विनिर्माण लेखाओं तथा इसकी अनुसूची एवं राज्य तथा केन्द्रीय प्रकरण में कर निर्धारण आदेशों से स्पष्ट है ।

हमने प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को दिसम्बर 2010 तथा मई 2011 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

2.16 गलत ढंग से कर मुक्त माने गये विक्रय पर कर का अनारोपण

पांच क्षेत्रीय कार्यालय⁵⁶ तथा आठ वृत्त⁵⁷ कार्यालय

म0प्र0 वाणिज्यिक कर अधिनियम तथा मध्य प्रदेश वैट अधिनियम सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम तथा उनके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं में अधिनियम की अनुसूची–I में निर्दिष्ट वस्तुओं या अधिसूचनाओं के माध्यम से कर मुक्त की गई वस्तुओं को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर की दरें निर्धारित की गई हैं ।

हमने फरवरी 2007 तथा अक्टूबर 2010 के मध्य अवलोकित किया कि अवधि 2002–03 तथा 2007–08 के लिये जनवरी 2006 तथा सितम्बर 2009 के मध्य कर निर्धारित 15 व्यवसाइयों के 17 प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर योग्य वस्तुओं जैसे उच्च घनत्व पॉली एथीलीन (एच.डी.पी.ई.)/पॉली प्रोपीलीन

(पी.पी.) फेब्रिक्स, 3 एच.पी. तक के पम्प सेट, कॉटन बैण्डेज इत्यादि को गलत ढंग से कर मुक्त या कर से छूट प्राप्त वस्तुएं मानकर उनके ₹ 18.75 करोड़ के विक्रय टर्नओवर पर कर आरोपित नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 88.69 लाख के कर का अनारोपण हुआ । कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख तालिका में किया गया है :

⁵⁶ गुना तथा इन्दौर (4) ।

⁵⁷ भोपाल, ग्वालियर (2), इन्दौर, नरसिंहपुर, राजगढ़, सिवनी तथा शाजापुर ।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	व्यवसाईयों की संख्या प्रकरणों की संख्या	वस्तु का नाम	टर्न ओवर	लागू कर की दर (प्रतिशत)	अनारोपित कर की राशि
1.	6 8	एचडीपीई/ पीपी फैब्रिक्स	1,717.16	4.6	79.14
कर निर्धारण प्राधिकारियों ने एचडीपीई/पीपी फैब्रिक्स को गलत ढंग से कर मुक्त कपड़ा मानते हुए उनके विक्रय पर कर आरोपित नहीं किया। हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (फरवरी 2007 एवं मार्च 2010) कि अधिसूचना ⁵⁸ दिनांक 24.08.2000 के द्वारा एचडीपीई फैब्रिक्स को कर मुक्त किया गया था। उत्तर अधिसूचना/न्यायिक निर्णय ⁵⁹ में उल्लिखित तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं तथा स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के कपड़ों को करमुक्त किया गया था। एचडीपीई/पीपी फैब्रिक्स प्लारिटिक वस्तु हैं, अतः करारोपण के योग्य हैं।					
2.	1 1	पेपर वेस्ट	12.96	9.2	1.19
कर निर्धारण प्राधिकारी ने पेपर वेस्ट को गलत ढंग से कर मुक्त वस्तु मानकर उसके विक्रय पर कर आरोपित नहीं किया। हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 1.31 लाख की मांग सृजित की गई (जुलाई 2010)।					
3.	1 1	पम्प सैट	24.70	4.6	1.14
कर निर्धारण प्राधिकारी ने तीन एच.पी. तक के पम्प सैटों को गलत ढंग से करमुक्त वस्तु मानकर उनके विक्रय पर कर आरोपित नहीं किया। हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (मई 2010) कि तीन एच.पी तक के पम्पसैट कर मुक्त हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न ही कथित वस्तु कर—मुक्त वस्तुओं में शामिल है और न ही किसी अधिसूचना द्वारा इसे कर मुक्त किया गया है।					

हमने प्रकरण दिसम्बर 2010 तथा मई 2011 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. एवं शासन को प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012)।

⁵⁸ अधिसूचना क्र.68 दिनांक 24 अगस्त 2000।

⁵⁹ मैसर्स राज पैक वेल विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश [1990(50) इएलटी 2011]।

2.17 करमुकित की गलत स्वीकृति

(i) करमुकित अधिसूचना क्र. ए-3(1) 95-एस.टी.-V(43), दिनांक 6 जून 1995, में शत प्रतिशत निर्यातोन्नमुख ईकाई को विस्तारित क्षमता के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं के विक्रय पर कर के भुगतान से छूट देने का प्रावधान नहीं है।

(ii) मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्र. 108 दिनांक 6 अक्टूबर 1994 में किसी नवीन औद्योगिक ईकाई को जारी पात्रता प्रमाण पत्र में निर्धारित विस्तारित क्षमता के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं पर आरोपणीय कर की सीमा तक कर मुकित की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है। अधिसूचना के तहत, कर के भुगतान से छूट का लाभ, उसके अंतर्गत जारी पात्रता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट कर की अधिकतम संचयी मात्रा की सीमा तक उपलब्ध है।

मार्च 2008 तथा जून 2010 के मध्य हमने अवलोकित किया कि तीन व्यवसाईयों को कुल ₹ 91.13 लाख के कर के भुगतान से करमुकित की गलत छूट प्रदान की गई, जैसा कि निम्न तालिका में उल्लेख किया गया है :

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा परीक्षित ईकाई का नाम	अवधि कर निर्धारण का माह	कर प्रभाव	प्रेक्षण का सार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	क्षे.सहा.आ.—भोपाल	2004-05 जनवरी 2008	59.12	व्यवसाई को उद्योग विभाग द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर ईकाई की विस्तारित क्षमता के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं के विक्रय पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी। अधिसूचना* में, जिसके अंतर्गत कथित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया था, शत प्रतिशत निर्यातोन्नमुख ईकाई को विस्तारित क्षमता के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं के विक्रय पर कर के भुगतान से छूट देने का प्रावधान नहीं है। कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रकरण को वापस उद्योग विभाग को विचारार्थ प्रेषित करने के बजाय, कर के भुगतान से छूट प्रदान की थी। इस प्रकार, कर मुकित की अनुमति गलत थी।

* क्रमांक— ए-3(1) 95 – एस टी-V(43) दिनांक 6 जून 1995।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	क्षे.स.आ.— प्रभारी वृत्त—III, ग्वालियर	<u>2006–07</u> मई 2009	25.56	अधिसूचना क्र. 108 दिनांक 6 अक्टूबर 1994 के अंतर्गत जारी पात्रता प्रमाण पत्र के अनुसार, व्यवसाई को विस्तारित क्षमता के अंतर्गत उत्पादित 9000 मीट्रिक टन लीफ सिंप्रंगों पर देय कर के भुगतान से छूट की पात्रता थी जो अवधि 2006–07 में लीफ सिंप्रंगों के कुल मात्रात्मक विक्रय का 21.23 प्रतिशत था। तदनुसार, ₹ 172.82 करोड़ के निर्धारित टर्नओवर में से, 21.23 प्रतिशत की सीमा तक का टर्न ओवर अर्थात् ₹ 36.69 करोड़ को कर के भुगतान से मुक्त किया जाना था। तथापि, यह देखा गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 62.25 करोड़ के टर्नओवर पर छूट प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.56 करोड़ के टर्नओवर पर अधिक छूट प्रदान की गई, जिसमें एक प्रतिशत की दर से ₹ 25.56 लाख का कर प्रभाव सन्निहित था।
3.	वा.क.का.— वृत्त—I, भोपाल	<u>2003–04</u> जनवरी 2007	6.45	कर निर्धारण प्राधिकारी ने जॉब वर्क के निष्पादन के क्रम में प्राप्त ₹ 70.10 लाख मूल्य के रक्षेष के विक्रय पर ₹ 6.45 लाख का कर आरोपित किया तथा गलत तरीके से कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.45 लाख के कर की गलत छूट प्रदान की गई।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (मार्च 2008) कि पात्रता प्रमाण पत्र को दृष्टिगत रखते हुए उपोत्पादों एवं निर्वर्थक उत्पादों के संबंध में भी छूट का लाभ उपलब्ध था। उत्तर करमुक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जिनमें उल्लेख है कि कर भुगतान से छूट की सुविधा कथित औद्योगिक इकाई में निर्भित प्रमुख उत्पादों तथा ऐसी इकाई में निर्माण के दौरान प्राप्त उपोत्पादों एवं निर्वर्थक उत्पादों के संबंध में उपलब्ध है। इससे निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कर के भुगतान से छूट की सुविधा जॉब वर्क के दौरान प्राप्त उपोत्पादों एवं निर्वर्थक उत्पादों के संबंध में उपलब्ध नहीं है।

हमने प्रकरण जनवरी और मई 2011 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, म0प्र0 एवं शासन को प्रतिवेदित किये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012)।

2.18 वृत्ति कर की वसूली न होना

वृत्ति कर अधिनियम, 1995 की धारा 3 (2) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में स्वयं अथवा किसी एजेन्ट अथवा किसी प्रतिनिधि द्वारा किसी व्यवसाय को संचालित करता है अथवा कृषि को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय अथवा पेशा करता है अधिनियम की अनुसूची के कॉलम (3) में ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी के सम्मुख निर्दिष्ट दर से वृत्ति कर के भुगतान का दायी होगा। अधिनियम की धारा 8 (2) में यह भी प्रावधान है कि कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन ऐसे व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से एक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अधिनियम की धारा 8 (4) में प्रावधान है कि जहां एक नियोक्ता अथवा एक व्यक्ति पंजीयन कराने के दायित्वाधीन है और वह जानबूझकर ऐसे प्रमाणपत्र के लिए उप धारा (3) में निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर आवेदन करने में विफल रहता है तो कर निर्धारण अधिकारी उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक उपयुक्त अवसर देने के बाद प्रत्येक दिन के विलंब के लिए ₹ 20 से अनधिक तथा अधिकतम ₹ 2,500 तक शास्ति आरोपित कर सकेगा।

थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2,000 से लेकर ₹ 2,500 प्रतिवर्ष की दर से ₹ 78.28 लाख के वृत्ति कर की प्राप्ति नहीं हुई।

हमने प्रकरण अप्रैल एवं मई 2011 में विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012)।

वाणिज्यिक कर विभाग के 41 वृत्ति कार्यालयों⁶⁰ से प्राप्त जानकारी का (i) राज्य आबकारी विभाग द्वारा मदिरा के अनुज्ञाप्तिधारकों, सिनेमा घरों, वीडियो पार्लरों तथा केबिल ऑपरेटरों के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचियों तथा (ii) कस्टम एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यूटी पार्लरों की सूची के साथ प्रति—सत्यापन में हमें पता चला कि वर्ष 2005–06 से 2009–10 हेतु 3,689 व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयत नहीं थे, यद्यपि वे वृत्ति कर का भुगतान करने के दायी

⁶⁰ बालाघाट, भोपाल (6), छतरपुर (नौगाँव), दतिया, देवास, होशंगाबाद, इन्दौर (15), जबलपुर (4), कटनी, खरगौन, नरसिंहपुर, रीवा, सागर (2), शाजापुर, सीधी तथा उज्जैन (3)।

2.19 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर का अनारोपण/कम आरोपण

दो क्षेत्रीय कार्यालय⁶¹

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्र. ए-3-38-06-1-V (46) दिनांक 5 जुलाई 2006 में अन्य बातों के साथ साथ 'सी' प्रपत्र से समर्थित कॉपर वायर रॉड, कॉपर वायर बार तथा कॉपर कैथोड के अंतर्राज्यीय विक्रय पर एक प्रतिशत की रियायती दर का प्रावधान है। यह रियायती दर 'सी' प्रपत्र से समर्थित कॉपर वायर या पेपर कवर्ड कॉपर चालकों के अंतर्राज्यीय विक्रय के लिये उपलब्ध/लागू नहीं है।

विक्रय पर एक प्रतिशत की रियायती दर से कर गलत ढंग से आरोपित किया गया। चूँकि अंतर्निहित वस्तुएं अधिसूचना में शामिल वस्तुओं से भिन्न थीं, अतः व्यवसाई 'सी' प्रपत्र में घोषणापत्रों से समर्थित लेनदेनों के लिए लागू तीन प्रतिशत की सामान्य दर पर कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन थे। इसके परिणामस्वरूप नीचे दिए विवरणानुसार ₹ 15.68 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसाईयों की संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	वस्तु टर्न ओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	अनारोपित/ कम आरोपित कर की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	श्री.स.आ., सतना 01	2007–08 दिसम्बर 2009	कॉपर वायर 546.00	3	1	10.92

कॉपर वायर ('सी' प्रपत्र से समर्थित) के अंतर्राज्यीय विक्रय पर गलत दर से कर आरोपित किया गया। हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अगस्त 2010) कि कॉपर वायर रॉड केबल निर्माताओं को बेची गई जिन्होंने इसे कच्चे माल के रूप में उपयोग किया। कर निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर क्रय एवं विक्रय सूची में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत है, जिसमें कॉपर वॉयर के क्रय एवं विक्रय का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

⁶¹

क्षे.स.आ., सतना (श्री एल.एल.भलावी) तथा क्षे.स.आ., सतना (श्री एस.एम.चतुर्वेदी)।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	क्षे.स.आ., सतना 1	2007–08 दिसम्बर 2009	पेपर कवर्ड कॉपर चालक 239.38 (236.33+3.05)	3 3	1 2	4.76

‘सी’ प्रपत्र से समर्थित पेपर कवर्ड कॉपर चालकों के अंतर्राज्यीय विक्रय पर गलत दर से कर आरोपित किया गया। हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (सितम्बर 2010) कि निर्धारिती ने पेपर कवर्ड कॉपर स्ट्राप्स का निर्माण एवं विक्रय किया था। कर निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर लेखापरीक्षित लेखाओं में अभिलेखित तथ्यों के विपरीत है जहां पेपर कवर्ड कॉपर चालकों के निर्माण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्र. ए-3-59-05-1-V (16) दिनांक 31 मार्च 2006 में अन्य बातों के साथ साथ, अन्य वस्तुओं सहित वनस्पति एवं खाद्य तेलों के लिए दो प्रतिशत के कर की रियायती दर लागू करने का प्रावधान है। यह रियायती कर गैर-खाद्य तेलों के लिए उपलब्ध/लागू नहीं है।

2.19.2 क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रालियर में हमने जून 2010 में अवलोकित किया कि अवधि 2006–07 तथा 2007–08 हेतु जून 2009 एवं मार्च 2010 के मध्य कर निर्धारित एक व्यवसाई के दो प्रकरणों में ₹ 5.86 करोड़ के गैर-खाद्य तेलों के अंतर्राज्यीय विक्रय पर

गलत दर से कर आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.19 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने प्रकरणों को दिसम्बर 2010 तथा मई 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012)।

2.20 कर की गणना में गलती

फरवरी 2010 एवं मई 2010 के मध्य दो क्षेत्रीय कार्यालयों⁶² एवं वृत्त कार्यालय इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 2005–06 से 2007–08 की अवधि हेतु मार्च 2009 तथा दिसम्बर 2009 के मध्य कर निर्धारित तीन व्यवसाईयों के प्रकरण में, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा गलती से ₹ 29.49 लाख के बजाय ₹ 6.61 लाख का कर संगणित/आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.88 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने दो प्रकरणों में ₹ 20.39 लाख के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा ₹ 20.31 लाख की माँग सुनित

⁶² भोपाल तथा इंदौर।

की (एक प्रकरण) तथा तीसरे प्रकरण के संबंध में बताया कि सत्यापन के उपरांत कार्बाई की जायेगी ।

प्रकरणों को दिसम्बर 2010 तथा मई 2011 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

2.21 बंद इकाइयों से कर की वसूली न होना

वृत्त कार्यालय, झाबुआ

अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी 1991 सहपठित अधिसूचना दिनांक 16 अक्टूबर 1986 एवं 6 अक्टूबर 1994 के अनुसार, कर भुगतान से मुक्ति हेतु पात्रता प्रमाणपत्र धारक व्यवसाई को पात्रता अवधि के दौरान तथा पात्रता अवधि की समाप्ति के दिनांक से पांच वर्षों की अवधि के लिए भी अपनी औद्योगिक इकाई को चालू रखना होगा, जिसमें विफल रहने पर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत जिला/राज्य स्तरीय समिति द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा । व्यवसाई द्वारा कर में ली गई छूट की राशि भी वसूल की जायेगी । अधिसूचना में यह भी उल्लेख है कि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता होने पर निरस्तीकरण भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकेगा ।

जून 2010 में हमने अवलोकित किया कि कर भुगतान से मुक्ति हेतु पात्रता प्रमाण पत्र धारक एक व्यवसाई पात्रता अवधि की समाप्ति के पश्चात पांच वर्ष तक अपनी औद्योगिक इकाई को चालू रखने में विफल रहा । व्यवसाई ने 01.11.1998 से 30.10.2006 तक कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ लिया था । तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवसाई के पात्रता प्रमाण पत्र को निरस्त करवाने के लिये प्रकरण को

जिला/राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करने के लिए कोई कार्बाई प्रारम्भ नहीं की । इसके परिणामस्वरूप 1 नवम्बर 1998 तथा 31 मार्च 2004 की अवधि के मध्य व्यवसाई द्वारा लिए गए ₹ 10.98 लाख के कर लाभ की वसूली नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जून 2010) कि व्यवसाई का पंजीयन अभी तक वैध है तथा कर निर्धारिती द्वारा वर्ष 2009–10 की विवरणियाँ प्रस्तुत की गई हैं । विवरणियों की संवीक्षा करने पर हमने पाया कि लेन–देन निरंक था जिससे सिद्ध होता है कि इकाई निष्क्रिय हो चुकी थी । आगे, कर निर्धारण प्राधिकारी ने पात्रता प्रमाण पत्र को निरस्त करवाने के लिये कोई कार्बाई नहीं की ।

हमने फरवरी तथा मई 2011 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किए; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

2.22 मूल्य संवर्धन का गलत निर्धारण

दो क्षेत्रीय कार्यालय⁶³ एवं दो वृत्त⁶⁴ कार्यालय

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 9—बी में अधिनियम की अनुसूची II के भाग II से VI में निर्दिष्ट वस्तुओं के पुनर्विक्रय पर मूल्य संवर्धन पर निर्धारित दरों से कर के आरोपण का प्रावधान है।

कर निर्धारित चार व्यवसाईयों के छः प्रकरणों में माल के पुनर्विक्रय पर मूल्य संवर्धित राशि ₹ 64 लाख कम निर्धारित की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.31 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी, क्षे.स.आ., खण्डवा ने बताया कि कर निर्धारण सही था। उत्तर न तो लेखापरीक्षित लेखाओं में अभिलेखित तथ्यों के अनुरूप था और न ही कर निर्धारण प्राधिकारी ने अपने उत्तर के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत किया। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सितम्बर 2010 में ₹ 70,085 की मांग सृजित की गई। शेष पाँच प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।

हमने इन प्रकरणों को जनवरी तथा मई 2011 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012)।

जून 2007 तथा सितम्बर 2010 के मध्य हमने अवलोकित किया कि अवधि 2003–04 से 2005–06 हेतु जुलाई 2006 तथा मार्च 2009 के मध्य

⁶³ इंदौर एवं खण्डवा।

⁶⁴ इंदौर एवं नरसिंहपुर।